घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 248- गुरूवार 09- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

मेरठ : नीले ड्रम कांड में सच्चाई की जीत,मुख्य आरोपी साहिल को फांसी,मुस्कान को उम्रकैद...

मेरठ,08 जुलाई 2026। नीले ड्रम कांड में आखिरकार न्याय की जीत हुई है। सौरभ नामक युवक की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि मुस्कान को उम्रकैद की सजा दी गई है। मेरठ की अदालत ने लंबे समय से चर्चित नीले ड्रम कांड में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी साहिल को मौत की सजा और सह आरोपी मुस्कान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। सौरभ की निर्मम हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में बंद करके फेंकने का यह मामला पूरे मेरठ में सनसनी फैलाने वाला था। हत्या की क्रूरता और शव को इस तरह छुपाने की घटना ने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा था। पुलिस ने लंबी जांच के बाद आरोपी साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार किया था। देर से ही सही,लेकिन न्याय ने अपना काम किया है। कोर्ट के इस फैसले ने यह संदेश दिया है कि अपराध कितना भी भयावह क्यों न हो, अंत में अपराधी को सजा जरूर मिलती है। पीड़ित परिवार ने फैसले का स्वागत किया है और न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है। नीले ड्रम कांड का यह फैसला उन सभी मामलों के लिए उदाहरण बन गया है जहां क्रूरता के साथ अपराध किया जाता है। कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि समाज में कानून का राज है और किसी भी कीमत पर अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा फेरबदल...

व्यवस्थापक गोपाल राव ने छोड़ा मंदिर परिसर

अयोध्या,08 जुलाई 2026। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हालिया घटनाक्रम के बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार,राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्थापक गोपाल राव ने मंदिर परिसर छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक के दौरान ही उन्होंने कारसेवक पुरम में अपना कार्यस्थल स्थानांतरित कर लिया था। साथ ही, उन्हें ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य के पद से पहले ही हटाया जा चुका है और उनका आधिकारिक कार पास भी वापस ले लिया गया है। इसके बाद मंदिर परिसर में उनकी प्रशासनिक भूमिका भी समाप्त मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट में हाल में हुए प्रशासनिक फेरबदल के तहत यह निर्णय लिया गया है। चढ़ावा प्रकरण के बाद ट्रस्ट के भीतर कई स्तरों पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसके बीच गोपाल राव का मंदिर परिसर छोड़ना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, ट्रस्ट की ओर से अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इधर, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से मुलाकात के लिए रामनगरी के संतों का एक प्रतिनिधिमंडल वैदेही भवन पहुंचा,जहां बंद कमरे में वार्ता हुई। इसी दौरान गोपाल राव भी वहां पहुंचे और गोविंद देवगिरी से चर्चा की। वहीं,अयोध्या राजपरिवार से जुड़े यतींद्र मोहन मिश्रा की भी मौजूदगी रही और उन्हें ट्रस्ट के एक रिक्त पद पर नया सदस्य बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है।

ट्रंप के एक फैसले से भारत में हड़कंप,मिनटों में डूबे अरबों रुपये

मुंबई,08 जुलाई 2026। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव का सीधा और बड़ा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ सीजफायर (युद्धविराम) समझौता खत्म करने और सैन्य हमलों के ऐलान के बाद घरेलू शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बुधवार दोपहर को महज 20 मिनट के भीतर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा टूट गया और देखते ही देखते बिकवाली का यह दबाव 1900 अंकों की भारी गिरावट में बदल गया। इस गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इतिहास बुधवार दोपहर 1 बजकर 40 मिनट पर सेंसेक्स 77,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मोर्चे से आई युद्ध की खबरों के चलते ठीक 2 बजे तक यह 1000 अंक गिरकर 76,700 के करीब आ गया। बाजार बंद होने के समय तक सेंसेक्स करीब 2.50% की गिरावट के साथ 76,300 के स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक निफ्टी में भी करीब 600 अंकों (2.45%) की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह खिसककर 23,800 के स्तर पर आ गया। इससे पहले बीते कारोबारी दिन यानी 7 जुलाई को भी सेंसेक्स 104 अंक गिरकर 78,181 पर बंद हुआ था।

उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह,बोले...भगवान राम मेरे इष्ट देव

अयोध्या,08 जुलाई 2026। राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किए गए चंदे में कथित धांधली और चोरी के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा),राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) पर तीखे हमले किए हैं। एक समाचार एजेंसी को दिए बयान में दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि वे सनातन धर्म की गहराई को समझते हैं और इसकी रक्षा करना उनका मुख्य मिशन है। उन्होंने घोषणा की कि वे अपनी अंतिम सांस तक आस्था की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उन्होंने इसे पूरी तरह से गैर-राजनीतिक बताते हुए कहा कि वे इस मुहिम में कारसेवक संतोष दुबे को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल करेंगे, जिन्होंने कारसेवा के दौरान अपना बलिदान देने का साहस दिखाया था।

उज्जैन से अयोध्या तक 'राम पदयात्रा' का ऐलान

इस विवाद के बीच,दिग्विजय सिंह ने चंदा चोरी के विरुद्ध एक बड़ी पहल की घोषणा की है। उन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक एक लंबी पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। यह पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी,जिसका मुख्य उद्देश्य राम मंदिर निर्माण के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना है। दिग्विजय सिंह के अनुसार, यह यात्रा पूरी तरह से गैर-राजनीतिक होगी। उनका कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है,उसने उनकी और करोड़ों राम भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है। दिग्विजय सिंह ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान यह भी कहा कि उन्होंने स्वयं भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया था।

साय कैबिनेट की बैठक...मानसून सत्र के विधेयकों को मंजूरी...

छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना

बिजली भुगतान की नई व्यवस्था,उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी,बस्तर-फाइटर्स के नियमों में बदलाव

रायपुर,08 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। बैठक में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने, उद्योगों में निवेश बढ़ाने, कारोबार की प्रक्रिया आसान करने,जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव और शिक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नवा रायपुर,पर्यावरण और किरायेदारी कानून से जुड़े मामलों पर भी कैबिनेट ने बड़े निर्णय लिए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। इन विधेयकों को अब मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों को सुविधा होगी और आम लोगों से जुड़े कामों को गति मिलेगी।

बिजली भुगतान के लिए आरबीआई के अनुरूप नई 'डायरेक्ट डेबिट मैंडेट' व्यवस्था

मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान की सुरक्षा के लिए वर्तमान त्रिपक्षीय अनुबंध के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

बस्तर फाइटर्स भर्ती एवं सेवा नियमों में संशोधन को स्वीकृति

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स), फाइटर आरक्षक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम,2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इससे इस बल की कार्यप्रणाली और सुदृढ़ होगी।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक,2026 को मंजूरी

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक,गुणवत्तापूर्ण और समकालीन बनाने के लिए इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत अब विन्यास निधि के स्थान पर 'रक्षित निधि' का प्रावधान लागू किया गया है,जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। इसमें आधारभूत अधोसंरचना,पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं को यूजीसी एवं सक्षम नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

वाणिज्यिक कर अधिकरण समाप्त लंबित मामले राजस्व मंडल को ट्रांसफर

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। जीएसटी लागू होने के बाद वैट संबंधी अपीलों में भारी कमी आई है और राज्य में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना भी हो चुकी है। इसलिए अब पृथक वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त किया जा रहा है। यहां लंबित सभी प्रकरण अब राजस्व मंडल को स्थानांतरित किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक के प्रारूप को हरी झंडी

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य जीएसटी कानून को और सरल बनाना तथा अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। करदाताओं, विशेषकर निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक,2026 अनुमोदित

राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। इस प्रारूप को तैयार करने में देश के अन्य अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का भी अध्ययन किया गया है, ताकि निवेश प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बने।

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' विधेयक लाने वाला छत्तीसगढ़ बनेगा देश का पहला राज्य

मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक,2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल,पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ऐसा कानून लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। इसके अंतर्गत डीम्ड परमिशन,स्व-प्रमाणीकरण, तृतीय-पक्ष सत्यापन और जोखिम-आधारित निरीक्षण जैसे क्रांतिकारी प्रावधान किए गए हैं।

नवा रायपुर के आबंटितियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना-2026

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूखंडों एवं निर्मित परिसरों पर देय ब्याज एवं अधिभार में राहत प्रदान करने के लिए ओटीएस योजना को मंजूरी दी गई है। इससे बकाया देयों का नियमितीकरण होगा, मुकदमेबाजी कम होगी और जो लोग विकास करने के इच्छुक नहीं हैं, वे समय पर भूमि सरेंडर कर सकेंगे।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम को अंगीकार करने का फैसला

भारत सरकार द्वारा लाए गए इस पर्यावरण कानून को छत्तीसगढ़ राज्य में अंगीकार करने के लिए विधानसभा में संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। इसके तहत छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उन पर केवल आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है,ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक,2026 को स्वीकृति

इसका उद्देश्य खाली मकानों को किराये पर देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और किरायेदारी से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान करना है। इसमें भवन स्वामी और किरायेदार के अधिकार व दायित्व स्पष्ट किए गए हैं। यह संशोधन भारत सरकार के आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2021 के अनुरूप है।

राजनांदगांव में बनेगा 2000 सीटों वाला आधुनिक ऑडिटोरियम

सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले एक विशाल और आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसके निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि के आबंटन को कैबिनेट ने अपनी महत्वपूर्ण मंजूरी दे दी है।

मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रम्बानन मंदिर पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किया

हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला : पीएम मोदी

जकार्ता,08 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने बुधवार को इंडोनेशिया के योग्याकार्ता स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण एवं पुनरुद्धार परियोजना का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह मंदिर परिसर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित 10वीं शताब्दी का यह ऐतिहासिक धरोहर स्थल भारत-इंडोनेशिया के साझा सांस्कृतिक संबंधों का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें जीवन में बार-बार भगवान शिव से जुड़े पवित्र स्थलों की सेवा और संरक्षण का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि उनका जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ, जहां हाटकेश्वर महादेव का प्रसिद्ध तीर्थ है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ भी गुजरात में स्थित है और उसके विकास में उन्हें प्रत्यक्ष जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन का केंद्र भी काशी विश्वनाथ रहा है, जहां बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद निरंतर उन्हें मिलता रहा है।

जम्मू-कश्मीर में लश्कर कमांडर जाकिर अहमद ढेर

जम्मू-कश्मीर,08 जुलाई 2026। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर जाकिर अहमद गनी मारा गया। बुधवार को सुरक्षाबलों ने उसका शव बरामद किया। आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सेना ने शनिवार शाम चनापोरा इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन के पांचवें दिन जाकिर गनी का शव बरामद हुआ। एक और आतंकी लतीफ भट के छिपे होने की आशंका है। जाकिर गनी उन 14 आतंकियों की सूची में शामिल था, जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया था।

देश के सभी हवाई अड्डों पर लगेगी एटीआरएस,2027 तक सभी राज्यों में एफआरआरओ कार्यालय : अमित शाह

नई दिल्ली, 08 जुलाई 2026। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने बुधवार को देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और आव्रजन प्रणाली की समीक्षा की। बैठक में यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के महानिदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अध्यक्ष तथा गृह एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अमित शाह ने निर्देश दिया कि देश के सभी हवाई अड्डों पर स्वचालित एक्स-रे ट्रे रिटर्न प्रणाली (एटीआरएस) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, जिससे मानव संसाधन की आवश्यकता कम होगी और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया अधिक तेज एवं प्रभावी बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नए हवाई अड्डों में इस प्रणाली की स्थापना के लिए उपयुक्त मानक निर्धारित किए जाएं।

भारत ने किया पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का फ्लाइट टेस्ट,60 किमी. पर था लक्ष्य इतिहास

रॉकेट ने सभी मानकों का पालन करते हुए लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना लगाया

नई दिल्ली,08 जुलाई 2026। भारत ने बुधवार को चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट को तय की गई कम से कम 60 किमी. की रेंज के लिए टेस्ट किया गया। रॉकेट ने सभी मानकों का पालन करते हुए लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना लगाया, जो बिल्कुल बताई गई दूरी पर था। सभी लगाए गए उपकरणों ने पूरी दूरी पर फ्लाइट को ट्रैक किया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) ने बताया कि फ्लाइट ट्रायल को आईटीआर और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट ने कोऑर्डिनेट किया था। रॉकेट को इन-सर्विस पिनाका लॉन्चर से लॉन्च किया गया, जिससे इसकी वर्सेटाइल क्षमता का पता चलता है और एक ही लॉन्चर से अलग-अलग रेंज के पिनाका वेरिएंट की लॉन्च कैपेबिलिटी मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल फ्लाइट-टेस्ट के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और इंडस्ट्री को बधाई दी है। उन्होंने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के लिए स्वदेशी डिजाइन और डेवलपमेंट कैपेबिलिटी में एक बड़ा मील का पत्थर बताया। डिफेंस सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी और डीआरडीओ के चेयरमैन राजेश कुमार सिंह ने ट्रायल्स पर करीब से नजर रखी और सफल टेस्ट से जुड़ी सभी टीमों को बधाई दी।

कालीघाट में तृणमूल की रैली में हंगामा,पूर्व सीएम ममता ने पार्टी कर्मी को थप्पड़ जड़े

कोलकाता,08 जुलाई 2026। बारुईपुर में नाबालिग से कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में कोलकाता के बालीगंज फाड़ी से हाजरा तक निकाली गई तृणमूल कांग्रेस के छात्र और युवा संगठनों की रैली के दौरान भारी हंगामा और झड़प हुई। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हुए, जिनमें तृणमूल प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक व्यक्ति तथा कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि, तृणमूल नेताओं का दावा है कि यह घटना अफरातफरी और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश के दौरान हुई और इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आज कलकत्ता हाई कोर्ट की अनुमति के बाद निकाली गई इस रैली के दौरान बालीगंज और कालीघाट इलाके में तनाव का माहौल बन गया। तृणमूल का आरोप है कि निर्धारित मार्ग पर निकाली जा रही रैली में भाजपा समर्थक घुस आए और नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी शुरू हुई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की और मारपीट में बदल गई। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें ममता बनर्जी भीड़ के बीच एक व्यक्ति को थप्पड़ मारती हुई दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वह व्यक्ति तृणमूल का ही एक कार्यकर्ता है। कुछ अन्य वीडियो में भी ममता बनर्जी को कई कार्यकर्ताओं की पीठ पर थप्पड़ मारते और उन्हें पीछे हटने का इशारा करते हुए देखा गया। रैली में मौजूद तृणमूल के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि झड़प और भगदड़ के कारण कई लोग अस्वस्थ हो गए थे। उन्हें तत्काल वाहनों में बैठाकर अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जा रही थी। इसी दौरान ममता बनर्जी स्वयं मौके पर पहुंचीं और रास्ता खाली कराने के लिए लोगों को हाथ से पीछे हटने का इशारा कर रही थीं। पार्टी के अनुसार, इसी अफरातफरी में गलती से एक कार्यकर्ता को थप्पड़ लग गया, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं।

टीएमसी पर गिरी गाज,बैंक खाते फ्रीज,ईडी का एक्शन

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में 440 करोड़ रुपये जमा थे। यह कार्रवाई फंड के कथित दुरुपयोग के मामले में तलाशी के बाद की गई है। राजनीतिक पार्टी की ओर से इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ये आदेश प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 (1ए) के तहत जारी किए गए थे। यह धारा ईडी अधिकारी को किसी संपत्ति (जैसे बैंक जमा) को फ्रीज करने का अधिकार देती है, जब ऐसी संपत्ति को जब्त करना व्यावहारिक न हो और यह जरूरी हो कि संपत्ति को ट्रांसफर न किया जाए या उसका कोई अन्य इस्तेमाल न हो। ऐसे आदेश की पुष्टि पीएमएलए के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (निर्णायक प्राधिकरण) द्वारा एक निश्चित समय सीमा के भीतर की जानी होती है। ईडी ने कहा कि टीएमसी के तीन एचडीएफसी बैंक खातों में 440.42 करोड़ रुपये जमा हैं। इसी घटनाक्रम में, जिस प्राइवेट बैंक में टीएमसी के ये खाते हैं, उसने कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर इन खातों में जमा राशि का खुलासा करने के लिए एक रिपोर्ट दाखिल की।

संपादकीय

क्या हम सचमुच एक सभ्य समाज में जी रहे हैं ?

एक 13 वर्षीय मासूम बच्ची...पांच दिनों तक कथित बंधक जैसी स्थिति... और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 32 लोगों की गिरफ्तारी। यदि जांच और न्यायिक प्रक्रिया में ये आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह केवल एक जघन्य अपराध नहीं होगा,बल्कि सभ्य समाज के चेहरे पर ऐसा काला धब्बा होगा,जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है,बल्कि हर उस मां-बाप के लिए भय का कारण है जो रोज़ अपनी बेटी को स्कूल,कॉलेज,ट्यूशन या किसी काम से घर से बाहर भेजते हैं।

सवाल यह नहीं है कि यह घटना कहां हुई। सवाल यह है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? आखिर वह कौन-सी मानसिकता है,जो किसी मासूम बच्ची को भी अपनी हैवानियत का शिकार बना देती है? यदि किसी अपराध में बड़ी संख्या में लोग शामिल पाए जाते हैं,तो यह केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं रह जाता,बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन का संकेत भी बन जाता है। यह बताता है कि कहीं न कहीं संवेदनाएं कमजोर हुई हैं,कानून का भय घटा है और महिलाओं एवं बच्चों के प्रति सम्मान की भावना को पर्याप्त मजबूती नहीं मिल पाई है।

हर ऐसी घटना के बाद देश भर में आक्रोश दिखाई देता है। लोग सड़कों पर उतरते हैं, सोशल मीडिया पर न्याय की मांग होती है,राजनीतिक बयान आते हैं और सरकारें कठोर कार्रवाई का भरोसा देती हैं। लेकिन कुछ सप्ताह बाद मामला सुर्खियों से गायब हो जाता है। पीड़िता का परिवार अदालतों के चक्कर काटता रहता है,गवाह दबाव झेलते हैं और न्याय की प्रक्रिया लंबी होती चली जाती है। यही वह स्थिति है जो आम नागरिक के मन में यह सवाल पैदा करती है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी तेज और प्रभावी है कि अपराधियों के मन में वास्तविक भय पैदा कर सके?

यह भी सच है कि केवल फांसी की मांग कर देने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। देश में कठोर कानून पहले से मौजूद हैं। बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए विशेष कानून हैं,फास्ट ट्रैक अदालतें हैं और गंभीर मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान भी है। चुनौती कानून की कमी नहीं,बल्कि उसके प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन की है। जब जांच में लापरवाही होती है,वैज्ञानिक साक्ष्य समय पर नहीं जुटाए जाते,मुकदमे वर्षों तक लंबित रहते हैं या पीड़ित परिवार को पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता,तब न्याय की पूरी प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है।

हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि यह केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। समाज को भी आत्ममंथन करना होगा। परिवारों में बेटों को महिलाओं और बच्चों के प्रति सम्मान सिखाना,स्कूलों में संवेदनशील शिक्षा देना,बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और समाज में अपराध की सूचना देने की संस्कृति विकसित करना उतना ही आवश्यक है जितना अपराधियों को सजा देना। डिजिटल युग में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा,अभिभावकों की जागरूकता और समुदाय की सतर्कता भी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

इस घटना ने एक और गंभीर प्रश्न खड़ा किया है–यदि कोई बच्ची कई दिनों तक लापता रहती है,तो स्थानीय तंत्र कितनी तेजी से सक्रिय होता है? क्या हर गुमशुदगी को समान गंभीरता से लिया जाता है? क्या पुलिस,स्थानीय प्रशासन और समुदाय के बीच ऐसा समन्वय है कि शुरुआती घंटों में ही प्रभावी खोजबीन शुरू हो सके? अक्सर शुरुआती देरी ही अपराधियों को अवसर दे देती है। इसलिए गुमशुदा बच्चों के मामलों में तत्काल कार्रवाई और बेहतर समन्वय अनिवार्य होना चाहिए।

इस मामले में सबसे पहली आवश्यकता है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से पूरी हो। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को कानून के अनुसार कठोरतम दंड मिले। साथ ही मुकदमे की सुनवाई समयबद्ध हो, पीड़िता और उसके परिवार की पहचान व गरिमा की रक्षा की जाए,उन्हें मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता मिले तथा गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। न्याय केवल सजा देने का नाम नहीं है;न्याय का अर्थ है पीडित को यह विश्वास दिलाना कि राज्य और समाज उसके साथ खड़े हैं।

यह घटना केवल 32 आरोपियों पर सवाल नहीं उठाती,बल्कि हम सबके सामने एक आईना रखती है। क्या हम ऐसा समाज बना पाए हैं जहां बच्चियां निर्भय होकर जी सकें? क्या हमारी संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि अपराध होने से पहले उसे रोक सकें? और क्या हम हर बार केवल आक्रोश व्यक्त करने तक सीमित रहेंगे, या व्यवस्था और सामाजिक सोच में वास्तविक बदलाव लाने का संकल्प भी लेंगे?

यदि इस घटना के बाद भी हम नहीं चेते,तो यह केवल एक मामले की विफलता नहीं होगी,बल्कि पूरे समाज की सामूहिक असफलता मानी जाएगी। एक सभ्य समाज की पहचान उसकी ऊंची इमारतों,तकनीकी प्रगति या आर्थिक विकास से नहीं होती;उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और सबसे मासूम नागरिकों–अपने बच्चों–को कितना सुरक्षित रख पाता है। यही कसौटी आज हमारे सामने खड़ी है,और इसी कसौटी पर हमें स्वयं को परखना होगा।

फेक न्यूज़ और प्रोपेगैंडा

कारख़ानों में अब
सिर्फ़ लोहा नहीं ढलता
अब आईटी सेल के
वातानुकूलित कमरों में
रोज़ सुबह एक नया
सच गढ़ा जाता है
फैक्ट्रियों के सायरन की तरह
यहाँ से छूटते हैं नफ़रत के हैशटैग
जो मिनटों में तुम्हारी नसों का ख़ून
खौला देते हैं।
तुम्हारी स्क्रीन पर जो तैर रहा है
वह सूचना नहीं ज़हर की खुराक है
एक कटी हुई वीडियो क्लिप
एक झूठी हेडलाइन
और एक मनगढ़ंत इतिहास का पन्ना
इतना ही काफ़ी है
एक भाई का हाथ दूसरे भाई के गले
तक पहुँचाने के लिए।
वे दंगे जो कभी
सड़कों पर शुरू होते थे
अब तुम्हारे व्हाट्सऐप
ग्रूपों में जन्म लेते हैं
तुम जिसे अपनी राय कहते हो
वह दरअसल किसी
पीआर एजेंसी का ड्राफ्ट है
तुम्हारी नफ़रत को मोनिटाइज़
किया जा चुका है
तुम्हारे गुस्से की टीआरपी तय होती है
और तुम्हारी अंधी आस्था के दम पर
सिंहासन अपनी उम्र बढ़ाते हैं।
सच्चाई घुटनों के बल बैठी है
फैक्ट-चेक की लाश पर
फेक न्यूज़ का गिद्ध जश्न मना रहा है
अब किसी तानाशाह
को सेना की ज़रूरत नहीं
उसे सिर्फ़ एक
बिकाऊ अल्गोरिदम चाहिए
जो जनता को सच देखने ही न दे।
उठो और अपनी आँखों पर छपे इस
झूठ को धो डालो
सवाल करो हर उस फॉरवर्ड मैसेज
से जो तुम्हें डराता है
संदेह करो हर उस ख़बर
पर जो तुम्हें बाँटती है
वरना इस डिजिटल
प्रोपेगैंडा के दौर में
तुम जिंदा तो रहोगे
पर तुम्हारी सोच की हत्या
बहुत पहले हो चुकी होगी।।

चंद्रकांत खूंटे

क्या लोकतंत्र में जवाबदेही मर रही है?

सत्ता,प्रशासन,न्यायपालिका और मीडिया के बीच भरोसे का संकट आखिर क्यों गहराता जा रहा है?
क्या जनता सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई है या लोकतंत्र की असली मालिक होने का सम्मान अब भी बचा है?

रवि सिंह
कोरिया,छत्तीसगढ़

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत न संसद है,न सरकार,न न्यायपालिका और न ही मीडिया,इसकी सबसे बड़ी ताकत है–जनता का विश्वास,यदि यह विश्वास कमजोर पड़ने लगे,तो लोकतंत्र की इमारत बाहर से चाहे जितनी मजबूत दिखाई दे,भीतर से खोखली होने लगती है। आज देश के अनेक हिस्सों में एक सवाल बार-बार सुनाई देता है क्या लोकतंत्र में बैठे लोग बेशर्म हो चुके हैं? यह सवाल कठोर है,लेकिन इसे केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया कहकर खारिज नहीं किया जा सकता,जब आम नागरिक अपनी छोटी-सी समस्या लेकर महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है,जब किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और मुआवजा नहीं मिलता,जब गरीब इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, जब भ्रष्टाचार की खबरें रोज सुर्खियां बनती हैं और कार्रवाई वर्षों तक फाइलों में कैद रहती है,तब यह सवाल स्वतः पैदा होता है।

क्या सत्ता सेवा का माध्यम है या विशेषाधिकार का लाइसेंस?

लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को राजा बनाने के लिए नहीं,बल्कि सेवक बनाने के लिए चुनती है,संविधान में कहीं नहीं लिखा कि चुनाव जीतने के बाद पांच वर्षों तक जनता केवल तमाशा देखे और सत्ता में बैठे लोग मनमानी करें,लेकिन आज कई बार ऐसा महसूस होता है कि चुनाव जीतने के बाद जवाबदेही का स्थान अहंकार ले लेता है,जनता की शिकायतें फाइल में,जनप्रतिनिधि कार्य क्रमों में और अधिकारी मीटिंगों में व्यस्त दिखाई देते हैं,ऐसा लगता है कि व्यवस्था का मौन संदेश यही है की
पांच साल के लिए जनादेश मिला है, अब पांच साल तक जो करना है करेंगे, क्या लोकतंत्र का अर्थ यही रह गया है?

क्या पैसा और पावर ही नया संविधान बन गए हैं?

एक फिल्म का प्रसिद्ध संवाद है अगर इस देश में रहना है तो आदमी के पास या तो बेहिसाब पैसा होना चाहिए या फिर पावर,यह संवाद फिल्मों के लिए लिखा गया था,लेकिन जब आम नागरिक अपनी वास्तविक जिंदगी में भी ऐसा महसूस करने लगे,तब चिंता स्वाभाविक है,क्या बिना सिफारिश के काम होना मुश्किल हो गया है? क्या बिना प्रभावशाली पहचान के न्याय मिलना कठिन होता जा रहा है? क्या गरीब और साधारण नागरिक की आवाज़ उतनी प्रभावशाली नहीं रही जितनी संविधान ने उसे दी थी? यदि इन प्रश्नों के उत्तर समाज में बड़ी संख्या में लोग हाँ में देने लगें,तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है।

राजनीति की भाषा ही बदल गई है...

कभी राजनीति सेवा,संघर्ष और विचारधारा का माध्यम मानी जाती थी,आज राजनीति का बड़ा हिस्सा चुनावी गणित,सोशल मीडिया प्रबंधन, जातीय समीकरण,प्रचार और सत्ता प्रबंधन तक सीमित दिखाई देता है, जनता अब विकास से पहले प्रचार देखती है,काम से पहले विज्ञापन दिखाई देता है,घोषणाएं पहले होती हैं, क्रियान्वयन बाद में,और कई बार क्रियान्वयन कभी होता ही नहीं।

प्रशासन क्या जनता का है या फाइलों का?

सरकारी दफ्तरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना है, लेकिन आम आदमी का अनुभव अक्सर इसके विपरीत होता है,एक प्रमाण पत्र के लिए कई चक्कर,एक शिकायत पर महीनों इंतजार,एक आवेदन पर अंतहीन प्रक्रिया, दूसरी ओर प्रभावशाली व्यक्ति का काम कुछ घंटों में पूरा हो जाता है, यदि कानून और व्यवस्था सभी के लिए समान नहीं दिखती, तो लोकतंत्र की आत्मा आहत होती है।

न्याय में देरी,न्याय से दूरी...

भारत की न्यायपालिका लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है, लेकिन लाखों लंबित मुकदमे,वर्षों तक चलने वाली सुनवाई और न्याय पाने की लंबी प्रक्रिया आम नागरिक को निराश करती है,लोकतंत्र में न्याय केवल होना नहीं चाहिए,बल्कि समय पर होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए,जब न्याय बहुत देर से मिलता है,तो कई लोगों के लिए उसका महत्व कम हो जाता है।

मीडिया भी सवालों के घेरे में...

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, उसका काम सत्ता की प्रशंसा नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल पूछना है,मीडिया का उद्देश्य विपक्ष बनना भी नहीं है, बल्कि जनता की आवाज़ बनना है, लेकिन आज मीडिया पर भी पक्षपात, व्यावसायिक दबाव,राजनीतिक प्रभाव और टीआरपी आधारित पत्रकारिता के आरोप लगते हैं,हालांकि यह भी उतना ही सच है कि आज भी देश में हजारों पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर जनहित की पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ लोगों की गलतियां पूरे मीडिया की पहचान नहीं हो सकतीं।

क्या जनता भी पूरी तरह निर्दोष है?

हर गलती केवल सरकार,प्रशासन या नेताओं की नहीं होती,जनता भी कई बार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाती है, चुनाव में जाति,धर्म,लालच या व्यक्ति गत लाभ के आधार पर मतदान, सड़क पर गंदगी फैलाना,भ्रष्टाचार को सुविधा शुल्क कहकर स्वीकार करना, गलत को देखकर चुप रहना,लोकतंत्र केवल अधिकारों से नहीं चलता, कर्तव्यों से भी चलता है।

भरोसे का संकट सबसे बड़ा संकट

आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक नहीं है,सबसे बड़ा संकट भरोसे का है,जनता को प्रशासन पर भरोसा कम हो रहा है, प्रशासन को जनता पर भरोसा कम हो रहा है,राजनीति पर भरोसा घट रहा है,मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, संस्थाओं पर अविश्वास बढ़ रहा है, जब समाज में भरोसा कमजोर होता है,तब केवल कानून व्यवस्था नहीं,पूरी लोकतांत्रिक संस्कृति प्रभावित होती है।

समाधान क्या है?

समाधान केवल सरकार बदलने में नहीं है,समाधान व्यवस्था बदलने में भी नहीं है,सबसे पहले सोच बदलनी होगी,सत्ता को सेवा मानना होगा, प्रशासन को संवेदनशील बनना होगा, न्याय समयबद्ध होना चाहिए,मीडिया को निष्पक्षता बचानी होगी,जनता को जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा, राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणाओं के साथ जवाबदेही भी स्वीकार करनी होगी।

लोकतंत्र का अंतिम मालिक कौन?

संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग...यहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा संदेश छिपा है,इस देश का मालिक कोई प्रधानमंत्री,मुख्य मंत्री,सांसद,विधायक,अधिकारी, न्यायाधीश या पत्रकार नहीं है,असली मालिक भारत की जनता है,जिस दिन सत्ता में बैठे लोग यह भूल जाते हैं कि वे जनता के सेवक हैं,और जिस दिन जनता यह भूल जाती है कि वही लोकतंत्र की असली शक्ति है–उसी दिन लोकतंत्र कमजोर होने लगता है, लोकतंत्र को बचाने के लिए केवल संविधान की रक्षा करना पर्याप्त नहीं,संवेदनशीलता,ईमानदारी, जवाबदेही और जनता के विश्वास की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है,क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता नहीं,जनता का विश्वास है–और यदि यही विश्वास टूट गया,तो कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकती।

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

मानसून की चुनौती : आखिर स्मार्ट शहर भी क्यों हो रहे हैं बेबस?

हर साल बदइंतजामी की बाढ़ में डूबती व्यवस्था

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

मानसून ने इस वर्ष अपने आगमन के साथ ही देश के बड़े हिस्से में राहत से अधिक आफत का संदेश दिया है। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश तक प्रकृति का रौद्र रूप साफ दिखाई दे रहा है। भारी बारिश, भूस्खलन,बादल फटने और बाढ़ जैसी घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक तैयारी अभी भी इस प्राकृतिक चुनौती का सामना करने में सक्षम नहीं है। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग-244 कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसी घटनाएं न केवल आवागमन को बाधित करती हैं बल्कि यह भी दिखाती हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में भूस्खलन की घटना में लोगों की मौत और कई लोगों का रेस्क्यू इस बात का संकेत है कि हम जोखिमों को पहले से भांपने में असफल रहे हैं। महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी स्थिति भयावह है। उल्हास नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, जिससे वांगणी के पास स्थित कुडसावरे पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया और कई गांवों का संपर्क टूट गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हर वर्ष की तरह इस बार भी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है लेकिन इस बार स्थिति और भी गंभीर रही है। महज दो दिनों की बारिश में ही सड़कें नदियों में तब्दील हो गई,पेड़ उखड़ गए,पुराने ढ़ांचे ढह गए और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हर साल आने वाली इस स्थिति को हम केवल 'प्राकृतिक आपदा' कहकर टाल सकते हैं? सच्चाई यह है कि यह केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं बल्कि हमारी प्रशासनिक लापरवाही, अनियोजित शहरीकरण और तकनीकी अक्षमता का भी परिणाम है। यदि बारिश से पहले नालों की सफाई,जल निकासी की समुचित व्यवस्था और जोखिम वाले क्षेत्रों का वैज्ञानिक मूल्यांकन समय पर किया जाए तो इन घटनाओं की गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मुंबई, पुणे या अन्य महानगरों में जलभराव की समस्या अब अस्थायी नहीं रही बल्कि स्थायी संकट बन चुकी है। इसका मूल कारण है शहरों का अनियोजित विस्तार और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों का अतिक्रमण। जहां कभी पानी के बहाव के प्राकृतिक रास्ते थे,वहां आज कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। नतीजतन,थोड़ी सी बारिश भी शहरों को जलमग्न कर देती है। यह स्थिति केवल मुंबई तक सीमित नहीं है बल्कि अब देश के अधिकांश शहरों में यही तस्वीर देखने को मिलती है। इस बार मानसून ने रेलवे और सड़क परिवहन को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर चट्टानी मलबा गिरने से रेल सेवाएं बाधित हो गई। गुजरात के अमरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा बह जाना इस बात का संकेत है कि हमारी निर्माण प्रणाली प्राकृतिक आपदाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। यह केवल एक तकनीकी विफलता नहीं बल्कि दीर्घकालिक योजना के अभाव का परिणाम है।

यदि हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो विकसित देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में 'लिडार' तकनीक से पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी की जाती है और 'रॉकफॉल बैरियर्स' के माध्यम से भूस्खलन को रोका जाता है। रेल और सड़क नेटवर्क में सेंसर आधारित प्रणाली खतरे का पूर्वानुमान लगाकर सेवाओं को नियंत्रित करती है। इसके विपरीत,भारत में आज भी अधिकतर व्यवस्थाएं प्रतिक्रियात्मक हैं अर्थात् हादसे के बाद ही कार्रवाई होती है। विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, भारत को हर वर्ष बारिश से जुड़ी आपदाओं के कारण लगभग 80,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ रुपये तक का आर्थिक नुकसान होता है। यह आंकड़ा केवल आर्थिक क्षति का है जबकि मानवीय जीवन की हानि का मूल्यांकन करना संभव ही नहीं है। हर वर्ष सैंकड़ों लोग केवल इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि हम समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठा पाते।

यह स्थिति हमें एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन ('आपदा के बाद राहत' से 'आपदा से पहले तैयारी' की ओर) की ओर संकेत करती है। इसके लिए सबसे पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 'डिजिटल ड्रेनेज ऑडिट' को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पानी का प्राकृतिक प्रवाह कहां और कैसे होता है। इसके साथ ही 'स्पंज सिटी' मॉडल को अपनाना आवश्यक है, जिसमें शहरों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे वर्षा के पानी को अवशोषित कर सकें। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए भूवैज्ञानिकों की सलाह को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। ढ़लानों की मजबूती,जल निकासी के उचित चैनल और वनस्पति संरक्षण जैसे उपाय भूस्खलन की घटनाओं को कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, रियल-टाइम वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम और अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना भी बेहद आवश्यक है। प्रशासनिक स्तर पर भी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।
हर वर्ष मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था के लिए बजट आवंटित किया जाता है लेकिन इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। यह केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाता है। जब तक इस पर सख्ती से निगरानी और पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, तब तक स्थिति में सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ होगा। यहां नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अतिक्रमण, कचरा प्रबंधन में लापरवाही और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी भी इस संकट को बढ़ाती है। यदि नागरिक स्तर पर जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव विकसित किया जाए तो इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। कुल मिलाकर, हमें यह स्वीकार करना होगा कि प्रकृति को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है लेकिन उसके प्रभाव को कम करना निश्चित रूप से हमारे हाथ में है। इसके लिए आवश्यक है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी नवाचार और प्रशासनिक ईमानदारी को एक साथ लेकर चलें। यदि अब भी हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो मानसून हमारे लिए हर वर्ष राहत के बजाय आफत बनकर आता रहेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर एक दीर्घकालिक और ठोस रणनीति तैयार करें, तभी हम इस प्राकृतिक चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण दे सकते हैं।

संघर्षों को भूल गया?

राजेन्द्र लाहिरी
पामगढ़,
छत्तीसगढ़

संघर्षों को तू भी भूल गया,
मैं भी भूल गया,
जिनकी उम्मीदों पर था भरोसा,
उसी ने दिया शूल नया।
तू भी जीए जा रहा,मैं भी जीए जा रहा,
जिस नरक से बड़ी कठिनाई से
निकले थे कभी,
फिर उसी ज़हर का प्याला
पीए जा रहा।
सदियों की पीड़ा
कैसे इतनी जल्दी भूल बैठे?
चंद मीठे शब्दों पर
अपना विवेक ही बेच बैठे।
उसी को रहनुमा मान लिया हमने,
जिसने घाव दिए थे तन ही नहीं,
मन पर भी।
कुछ लोग ऊँचाइयों तक पहुँच गए,
पर समाज आज भी खड़ा है
वहीं का वहीं।
तन पर सूट-बूट आ गया,
पर विचारों में परिवर्तन न आया।
महामानवी मंशा को छोड़कर
दिखावे का रास्ता अपनाया।
झूठी प्रशंसा का जाल बिछाकर
छल करने वाले आज भी मुस्कुरा रहे हैं,
और हम उन्हें अपना हितैषी समझकर
अपने ही पथ से भटकते जा रहे हैं।
जिस समाज ने पहचान दी,
जिसने चलना और संभलना सिखाया,
उसे लौटाया क्या? क्या अपने जैसा
एक भी जागरूक इंसान तैयार कर पाया?
जब समाज का
ऋण चुकाने का समय आया,
तब तूने चमत्कारों के पीछे
कदम बढ़ाए।
चंद चापलूसों की संगत में
अपने ही नए प्रतिमान गढ़ डाले।
याद रख, अजगर आज भी राह में
मुंह फैलाए बैठा है।
दौड़ ले जितना
दौड़ सकता है ऐ खरगोश,
पर यदि इतिहास,संघर्ष और
चेतना को भूल गया,
तो अंत में तेरी मंजिल बनेगी
उनका भयंकर आगोश।
संघर्षों की विरासत संभाल,
इतिहास का मान रख।
जो पीढ़ियाँ जागकर चली थीं,
उनके सपनों की पहचान रख।
व्यक्ति की नहीं, समाज की जीत में
अपना सम्मान रख।

27 की पटकथा कैसे अयोध्या से लिखी जा रही है?

संजय सक्सेना
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

अयोध्या की पावन धरा पर इन दिनों सिने जगत के प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर अपनी आगामी फिल्म 'श्रीराम भूमि' की शूटिंग के सिलसिले में पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ी में मत्था टेकने और रामलला के दर्शन करने के बाद उन्होंने जो कहा,वह केवल एक बयान नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने दान पेटी में चोरी की घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, अगर किसी के घर में चोरी होती है,तो हम चोर को कोसते हैं,न कि उस पवित्र घर को लांछन लगाते हैं। यह एक छोटा-सा वाक्य उन तमाम शक्तियों को जवाब है, जो मंदिर की गरिमा को एक तुच्छ घटना के जरिए कमत्तर आंकने की कोशिश कर रही हैं। राम मंदिर का निर्माण कोई साधारण निर्माण कार्य नहीं है। यह पाँच शताब्दियों के संघर्ष,अनगिनत बलिदानों और न्याय के लिए किए गए लंबे इंतजार की परिणति है। राम भक्त जब आज अयोध्या की गलियों में चलते हैं, तो उनके पैरों में उस मिट्टी का गौरव होता है, जिसके लिए उनके पूर्वजों ने अपनी जानें न्योछावर कर दी थीं। अनुपम ने दो टूक कहा, दान चोरी जैसी घटनाओं से मंदिर की पवित्रता कम नहीं हो सकती, क्योंकि राम मंदिर भक्तों के लिए महज ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व और अस्मिता का केंद्र है। एक चोर की नीच हरकत, जो लोभवश की गई हो, वह उस आस्था को कैसे हिला सकती है, जिसने मुगलों के अत्याचार और सदियों के विध्वंस को झेलने के बाद भी अपनी जड़ों को जीवित रखा? भक्त जानता है कि रामलला का मंदिर उस अखंड भारत की स्मृति है,जिसकी रक्षा के लिए हिंदू समाज हर चुनौती का सामना करने को तत्पर रहता है। अनुपम खेर के कहने का सार यही था कि अयोध्या में दान चोरी को लेकर जिस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है,वह चिंताजनक है। विपक्षी दलों द्वारा इस घटना को मुद्दा बनाकर भाजपा, आरएसएस और साधु-संतों को अपमानित करने का जो प्रयास किया जा रहा है,वह स्पष्ट रूप से असुविधाजनक राजनीति का हिस्सा है। बहरहाल, विपक्ष की यह रणनीति कि मंदिर के बहाने सत्ता पर निशाना साधा जाए,जमीनी हकीकत से कोसों दूर दिखती है। आम हिंदू मानस में यह सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष को मंदिर की सुरक्षा में हुई चूक पर अफसोस है या वह इस घटना को एक हथियार के रूप में उपयोग करना चाहता है? जब दरगाहों,मदरसों या वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं की खबरें आती हैं, तब इसी विपक्ष की चुप्पी यह दर्शाती है कि इनकी धर्मनिरपेक्षता का पैमाना चुनिंदा है। हिंदू समाज इस दोहरे मानदंड को भली-भांति देख और समझ रहा है।

आश्चर्य होता है कि अयोध्या में चंदा चोरी पर हल्ला मचाने वाले दिग्गज राहुल गांधी, अखिलेश यादव,ममता बनर्जी,अरविंद केजरीवाल वक्फ बोर्ड,दरगाहों और मदरसों से जुड़ी अनियमितताओं के आरोपों, देश-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कभी मुंह नहीं खोलते हैं। इस पर आलोचकों का तर्क है कि इन नेताओं की चुप्पी तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा होती है, जबकि संबंधित नेताओं का रुख यह रहता है कि वे ऐसे मामलों में सबूतों और कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करते हैं। हाल के वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के हस्तांतरण और प्रबंधन को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में गंभीर सवाल उठे हैं। विपक्षी नेताओं ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के विरोध में मुखरता दिखाई है,लेकिन जब वक्फ बोर्ड के भीतर भ्रष्टाचार या कुप्रबंधन की विशिष्ट शिकायतों की बात आती है, तो ये नेता मौन साधे रहे। जानकारों का कहना है कि किसी भी बड़ी अनियमितता के आरोपों पर इन नेताओं द्वारा कोई स्पष्ट बयान न देना मतदाताओं के एक वर्ग को साधने की रणनीति के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मदरसों की जांच के दौरान विदेशी फंडिंग और वित्तीय अनियमितताओं के दावे किए गए हैं। इन जांचों के दौरान जब मदरसों के प्रबंधन पर सवाल उठे, तो अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने इसे केवल धार्मिक संस्थानों को निशाना बनाने की कार्रवाई करार दिया। उन्होंने इन संस्थाओं के भीतर वित्तीय पारदर्शिता या भ्रष्टाचार के विशिष्ट आरोपों पर विस्तृत टिप्पणी करने के बजाय प्रशासनिक कार्रवाई को ही राजनीतिक रंग दिया, जिससे यह संदेश गया कि वे संस्थागत सुधारों पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं, कई दरगाहों और उनके ट्रस्टों के प्रबंधन को लेकर समय-समय पर स्थानीय स्तर पर धांधली और चंदे के दुरुपयोग की खबरें आती रही हैं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का स्टैंड अक्सर धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण पर केंद्रित रहता है। वे ऐसे विवादों में तब तक दूरी बनाए रखते हैं, जब तक कि कोई बड़ा न्यायिक निर्णय या व्यापक सार्वजनिक आक्रोश न हो।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

–सम्पादक

निजी अस्पतालों पर सख्ती : फायर सेफ्टी,पार्किंग और डॉक्टरों के पंजीयन सहित सभी मानकों का पालन अनिवार्य

सीएमएचओ ने जारी किए निर्देश,दस्तावेज अधूरे मिलने या नियमों के उल्लंघन पर नर्सिंग होम एक्ट-2010 के तहत होगी कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

जिले में संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यप्रणाली को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), सरगुजा ने जिले के सभी निजी नर्सिंग होम,पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और कलेक्शन सेंटर संचालकों को नर्सिंग होम एक्ट-2010 के तहत निर्धारित सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक निजी स्वास्थ्य संस्थान में फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र,बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन की वैध अनुमति, एक्स-रे बॉक्स,इमरजेंसी किट तथा संबंधित चिकित्सकों का छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में वैध पंजीयन अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

सीएमएचओ ने यह भी निर्देश दिए हैं कि मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संस्थान में स्वच्छ शौचालय,नियमित साफ-सफाई और पर्याप्त वाहन पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सूचना पटल पर कार्यरत चिकित्सकों के नाम,उनकी शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल पंजीयन,ओपीडी समय तथा उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का स्पष्ट प्रदर्शन किया जाना भी अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग ने उन संस्थानों को भी चेतावनी दी है,जिनके दस्तावेज या आवश्यक प्रमाण-पत्र अभी तक पूर्ण नहीं हैं। ऐसे संचालकों को सभी अभिलेख शीघ्र कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अनुज्ञप्ति और पंजीयन संबंधी प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण किया जा सके। सीएमएचओ ने स्पष्ट किया है कि विभागीय निरीक्षण के दौरान यदि निर्धारित मानकों का उल्लंघन,आवश्यक दस्तावेजों की कमी या अन्य अनियमितताएं पाई जाती हैं तो नर्सिंग होम एक्ट-2010 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित संस्थान की अनुज्ञप्ति और पंजीयन स्थगित करने की अनुशंसा भी की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी निजी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों से शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने और समय पर सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की है,ताकि मरीजों को सुरक्षित,गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

नर्सिंग होम एक्ट-2010 के प्रमुख प्रावधान

- निजी अस्पताल,नर्सिंग होम,डे-केयर सेंटर,पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर का पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) अनिवार्य है।
- संस्थान में निर्धारित मानकों के अनुरूप भवन, पर्याप्त स्थान, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाएं होना आवश्यक है।
- फायर सेफ्टी (अग्निशमन) प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन करना होगा।
- सभी चिकित्सकों का छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (जहां लागू हो) में वैध पंजीयन होना चाहिए।
- प्रशिक्षित नर्सिंग एवं तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता आवश्यक है।
- आवश्यक चिकित्सा उपकरण,इमरजेंसी किट और जीवनरक्षक सुविधाएं उपलब्ध होना अनिवार्य है।
- मरीजों का रिकॉर्ड एवं उपचार संबंधी दस्तावेज निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखना होगा।
- सूचना पटल पर चिकित्सकों के नाम, योग्यता, पंजीयन संख्या, ओपीडी समय और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
- निर्धारित मानकों का उल्लंघन होने पर निरीक्षण,नोटिस,लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

घटती घटना | सरगुजा समाचार | अम्बिकापुर गुरूवार 08 जुलाई 2026 | 3

इलाज या कारोबार? लक्ष्मी नारायण अस्पताल पर सवालों की लंबी फेहरिस्त,अब आयुष्मान योजना में कथित धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज

- नियमों के पालन,पार्किंग,फायर सेफ्टी,भवन अनुमति,पैथोलॉजी संचालन और पारदर्शिता पर पहले से उठ रहे थे सवाल...
- अब मरीज से नकद वसूली और आयुष्मान कार्ड से भी राशि निकालने के आरोप ने बढ़ाई गंभीरता

सड़क पर पार्किंग से तौज बिगड़ती व्यवस्था
फायर सेफ्टी पर भी गंभीर सवाल
जांच टीम बनी,लेकिन रिपोर्ट का इंतजार
आवासीय अनुमति पर व्यावसायिक संचालन का आरोप
निष्पक्ष जांच की मांग...

इलाज या कारोबार? लक्ष्मी नारायण अस्पताल पर सवालों की लंबी फेहरिस्त, अब आयुष्मान योजना में कथित धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज

जनहित के सवाल

मैनपाट में पर्यटन या हुड़दंग? वायरल वीडियो ने खड़े किए सुरक्षा पर बड़े सवाल

सड़क पर युवाओं की भीड़,बीच रास्ते डांस और शोर-शराबा;परिवारों व स्थानीय लोगों में बढ़ी चिंता,पर्यटन की छवि पर पड़ रहा असर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट में लगातार बढ़ती अव्यवस्था अब चिंता का विषय बनती जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में बड़ी संख्या में युवक सड़क पर जमा होकर हुड़दंग करते,नाचते और यातायात बाधित करते दिखाई दे रहे हैं। इससे न केवल पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल की छवि भी प्रभावित हो रही है। उपलब्ध तस्वीरों में दर्जनों युवक सड़क के बीचों-बीच खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई लोग मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं, जबकि सड़क पर मोटरसाइकिलें खड़ी होने से आवागमन प्रभावित होता दिख रहा है। बारिश और धुंध के बीच इस तरह सड़क पर भीड़ जमा होना किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान मैनपाट के

प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अनियंत्रित भीड़ उमड़ रही है। कुछ लोग तेज आवाज में संगीत बजाने, सड़क पर नृत्य करने और अनुशासनहीन व्यवहार के कारण पूरे माहौल को प्रभावित कर रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर परिवारों,महिलाओं और बच्चों के साथ घूमने आने वाले पर्यटकों पर पड़ रहा है।

जाम,गंदगी और सुरक्षा तीनों बड़ी चुनौती

बढ़ती भीड़ के कारण मेहता पॉइंट,टाइगर पॉइंट और अन्य पर्यटन स्थलों पर कई बार लंबा जाम लग जाता है। सड़क किनारे बेतरतीब वाहन खड़े होने से यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। वहीं कई स्थानों पर प्लास्टिक, खाने-पीने की सामग्री और अन्य कचरा फैलने से प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रभावित हो रहा है।

प्रशासन की कार्रवाई पर्याप्त नहीं...

हालांकि पुलिस और प्रशासन समय-समय पर शराब पीने, सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने तथा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए मौजूदा व्यवस्था अपर्याप्त दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नियमित निगरानी और स्थायी व्यवस्था के बिना समस्या का समाधान संभव नहीं है।

जनहित में उठी ये मांगें...

- प्रमुख पर्यटन स्थलों पर स्थायी पुलिस चौकी या अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती।
- सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन निगरानी की व्यवस्था।
- सड़क पर हुड़दंग, तेज संगीत और शराब सेवन करने वालों पर सख्त जुर्माना।
- सप्ताहांत में प्रभावी ट्रैफिक एवं पार्किंग प्रबंधन।
- पर्यावरण संरक्षण के लिए कचरा फैलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई।
- प्रवेश स्थलों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश और पर्यटक आचार संहिता का प्रदर्शन।

कोडीनयुक्त कफ सिरप रखने पर 10 साल की सजा,एक लाख का जुर्माना

दरिमा मोड़ से 17 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप और 63 एविल इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था आरोपी,एनडीपीएस कोर्ट का सख्त फैसला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सरगुजा ने प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कब्जे एवं बिक्री के उद्देश्य से परिवहन करने के मामले में रायगढ़ जिले के लैलूंगा निवासी नूर मोहम्मद उर्फ नूर हसन कादरी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 8 नवंबर 2020 को अंबिकापुर के दरिमा मोड़ पर मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया था। तलाशी के दौरान उसके बैग से 17 बोतल कोडीनयुक्त कोडेक्टस कफ सिरप तथा 63 नग एविल इंजेक्शन बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी इन प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित दवाएं, मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि जब्त कफ सिरप में कोडीन फॉस्फेट की पुष्टि फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की जांच में हुई है। अदालत ने यह भी माना कि विवेचक ने एनडीपीएस एक्ट के सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए जब्ती एवं विवेचना की थी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित माना।

धारा बदली,सजा बरकरार

निर्णय में न्यायालय ने उल्लेख किया कि प्रारंभ में आरोपी के विरुद्ध धारा 22(सी) के तहत आरोप तय किया गया था,लेकिन सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कोडीनयुक्त कफ सिरप के मामले में धारा 21(सी) लागू होती है। इसी आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने अपने फैसले में कहा कि मादक पदार्थों से जुड़े अपराध समाज,विशेषकर युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर खतरा हैं। प्रतिबंधित औषधि की वाणिज्यिक मात्रा और अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड आवश्यक है। न्यायालय ने जब्त प्रतिबंधित सामग्री को नियमानुसार नष्ट करने तथा जब्त मोटरसाइकिल के संबंध में पृथक राजसात की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।

प्राइड ऑफ साउथर्न इंडिया अवार्ड 2026 से सम्मानित हुए डॉ. डी.के. सोनी

फ़िल्म अभिनेत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद Jaya Prada के हाथों मिला सम्मान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सामाजिक कार्यकर्ता,अधिवक्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. डी.के. सोनी को जनहित, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए 'प्राइड ऑफ साउथर्न इंडिया अवार्ड-2026' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 27 जून 2026 को The Park Hyderabad में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। समारोह में प्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद Jaya Prada ने डॉ. सोनी को सम्मान-पत्र एवं अवार्ड प्रदान किया। उन्हें यह सम्मान आरटीआई, जनहित याचिकाओं, सुशासन, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन इनसाइटसक्सेस एंड ट्रेड मीडिया के संस्थापक मनीष भंसाली द्वारा किया गया। समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए डॉक्टरों,शिक्षाविदों,उद्योग जगत की हस्तियों,सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस समारोह में डॉ. सोनी को

सम्मानित किया जाना सरगुजा क्षेत्र के लिए भी गौरव का विषय माना जा रहा है। डॉ. डी.के. सोनी लंबे समय से सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अपनी संस्था 'सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस' के माध्यम से वे आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सूचना के अधिकार (आरटीआई) और जनहित याचिकाओं के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण मामलों को न्यायालय तक पहुंचाया तथा कई मामलों में सफल कानूनी लड़ाई लड़कर न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने कई मामलों में जांच प्रारंभ कराई तथा दोषी अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराने में सफलता हासिल की। डॉ. सोनी को मिले इस राष्ट्रीय सम्मान पर अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में खुशी का माहौल है। अधिवक्ताओं,सामाजिक संगठनों और उनके शुभचिंतकों ने इसे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताते हुए उन्हें बधाई दी है। सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉ. डी.के. सोनी ने कहा कि यह पुरस्कार उनके लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें जनहित,सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए और अधिक समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने भविष्य में भी समाज के वंचित, पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया।

राजीव गांधी पीजी कॉलेज में जनभागीदारी समिति की बैठक,विकास के लिए कई अहम निर्णय

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की बैठक में महाविद्यालय के समग्र विकास,शैक्षणिक गुणवत्ता और छात्र सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने की। बैठक में महाविद्यालय के भवन, प्रयोगशालाओं,पुस्तकालय,खेल सुविधाओं एवं अन्य आधारभूत ढांचे के विकास के लिए संसाधन जुटाने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बेहतर NAAC ग्रेडिंग के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया गया। समिति ने ऑडिटोरियम उपयोग शुल्क शासकीय संस्थाओं के लिए 11 हजार रुपये तथा गैर-शासकीय संस्थाओं के लिए 15 हजार रुपये निर्धारित किया। मैदान के रखरखाव हेतु एक दिन के उपयोग के लिए 25 हजार रुपये शुल्क लेने की भी स्वीकृति दी गई। बैठक में मुख्य प्रवेश द्वार का पुनर्निर्माण,कैंटीन का विस्तार,10 सीसीटीवी कैमरे, छात्रावास की मरम्मत,मीटिंग हॉल में 4 एसी एवं साउंड सिस्टम,पुराने ऑडिटोरियम और इंडोर बैडमिंटन हॉल के नवीनीकरण,दो नए नल-जल कनेक्शन,पश्चिमी हिस्से में फेंसिंग तथा फर्नीचर,कंप्यूटर,पुस्तकालय आधुनिकीकरण एवं 150 ड्यूल डेस्क क्रय करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही विधि संकाय में 120 अतिरिक्त सीटों की स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने तथा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति एवं कुछ पाठ्यक्रमों की फीस में कमी करने का निर्णय भी लिया गया।

बाहरी राज्यों से आए किरायेदारों के सत्यापन की मांग,आईजी को सौंपा ज्ञापन

पार्षद आलोक दुबे ने कहा...बिना पुलिस सत्यापन रह रहे संदिग्ध लोगों की हो जांच,मकान मालिकों की भी तय हो जिम्मेदारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे ने सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अंबिकापुर शहर में बाहरी राज्यों से आकर किराये के मकानों में रह रहे लोगों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न इलाकों में बिना पुलिस जांच-पड़ताल के बड़ी संख्या में किरायेदार रह रहे हैं, जिनकी गतिविधियों की जानकारी न तो मकान मालिकों को है और न ही संबंधित विभागों के पास कोई

समुचित रिकॉर्ड उपलब्ध है। ज्ञापन में पार्षद ने उल्लेख किया है कि गांधीनगर, कोतवाली और मणिपुर थाना क्षेत्रों के कई मोहल्लों में कम किराये पर बाहरी लोगों को मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनका कहना है कि कई मकान मालिक केवल किराया मिलने तक ही सीमित रहते हैं और किरायेदारों की पृष्ठभूमि या उनके कार्यों की जानकारी नहीं रखते। उन्होंने एक पुराने आपराधिक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों से सीख लेते हुए समय रहते किरायेदारों का सत्यापन आवश्यक है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से आए कुछ लोगों के संबंध में स्थानीय स्तर पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए पुलिस को तथ्यों के आधार पर उनकी पहचान और सत्यापन करना चाहिए। पार्षद ने मांग की है कि तीनों थाना क्षेत्रों की संयुक्त टीम बनाकर किरायेदारों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। जांच के दौरान यह जानकारी जुटाई जाए कि संबंधित व्यक्ति कहां से आया है, कितने समय से शहर में रह रहा है, क्या कार्य करता है तथा उसके गृह जिले के थाने से उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी प्राप्त किया जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि समय रहते सत्यापन और निगरानी नहीं की गई तो भविष्य में असामाजिक तत्व शहर की शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से नियमित किरायेदार सत्यापन अभियान चलाने और संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने की मांग की है।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

ईश्तहार

रा0प्र0क्र0 / अ-6 / 2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रश्मि बक्शी पति संजय बक्शी, उम्र-42 वर्ष जाति ब्राम्हण, निवासी महामाया रोड़, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि अनावेदक संजय बक्शी आ.स्व. लेख राज बक्शी, उम्र- 60 वर्ष, जाति ब्राम्हण निवासी महामाया रोड़ मायापुर, अम्बिकापुर के द्वारा स्वयं के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ0पुर, शीट नं. 02 मोहल्ला कौवाड़ांड़ स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 1488 /1, 1489/1, 1490/1, 1492/8 रकबा क्रमशः 0.001/2, 0.001/4, 0.071/2, 0.033/2 एकड़ कुल रकबा 0.12 एकड़ भूमि के संबंध में पंजीबद्ध दान पत्र दिनांक 30.06.2026 का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध दान पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा आवेदित भूखण्ड का नामांतरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु पंजीबद्ध दान पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 24 / 07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक- 08/07/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय - डी0एस0बघेल,प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी सूरजपुर

ईश्तहार

प्रोसेस नम्बर - 235/26
उ0प्र0क्र0 - 28/2026
पेशी तिथि - 06/08/2026

1. कुंजबिहारी आ0 सुन्दरसाय, आयु लगभग 35 वर्ष,
2.रामपाल आ0 स्व0 भोलाराम आयु लगभग 23 वर्ष,
3. दुर्गा प्रसाद आ0 स्व0 रामलाल आयु लगभग 60 वर्ष,
सभी निवासी ग्राम मसिरा, तहसील भैयाथान,थाना व जिला सूरजपुर (छ0ग0) ...आवेदकगण

प्रति,
1.छ0ग0 राज्य ग्रामीण बैंक शाखा बसदेई,ब्रांच कोड 6014 थाना व तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ0ग0) वगैरह ...अनावेदकगण

सर्व साधारण (आम जनता) इस न्यायालय में लम्बित उत्तराधिकार प्रकरण क्रमांक- 28 / 2026,कुंजबिहारी व अन्य विरूद्ध छ0ग0 राज्य ग्रामीण बैंक व अन्य में सर्व साधारण आम जनता अनावेदकगण क्रमांक- 24 है।

अतः सर्व साधारण आम जनता को इस ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त वाद के संबंध में कोई आपत्ती हो तो वह पेशी दिनांक- 06/08/2026 को दिन के ठीक 11:00 बजे इस न्यायालय में स्वतः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों ।

यदि आप बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते है, तो आपके विरूद्ध प्रकरण का निपटारा आपके अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है या कार्य दिवस स्थगित हो जाता है, तो प्रकरण की सुनवाई आगामी कार्य दिवस को किया जावेगा।

आज दिनांक 24/06/2026 को इस न्यायालय की मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

स्थान- सूरजपुर
दिनांक- 24/06/2026

(डी0एस0 बघेल)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ0ग)

सील

गंगापुर के पास भीषण सड़क हादसा बाइक सवार तीन युवकों की मौत

लटोरी क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर,एक युवक को दूर तक घसीटता ले गया वाहन,चालक की तलाश में जुटी पुलिस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

अंबिकापुर-बनारस अंतरराज्यीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा लटोरी चौकी क्षेत्र के ग्राम गंगापुर के पास रात करीब 12 बजे हुआ,जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि एक युवक वाहन में फंसकर कुछ दूरी तक घसीटता चला गया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। सूचना मिलते ही लटोरी पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटोरी भेजा।

बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान प्रकाश सिंह (20) निवासी ग्राम कनकपुर, संदीप राजवाड़े (21) निवासी ग्राम वीरपुर करौंदामुड़ा तथा बलवीर यादव (18) के रूप में हुई है। तीनों जयनगर थाना क्षेत्र के निवासी थे। बताया जा रहा है कि वे हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल से सिलफिली मंडी जाने के लिए घर से निकले थे। गंगापुर के पास उनकी बाइक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि एक युवक वाहन में फंस गया और काफी दूरी तक घसीटता चला गया। हादसे के बाद चालक बिना रुके वाहन लेकर फरार हो गया।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस : लटोरी पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर वाहन की पहचान करने में जुटी है।

गांवों में पसरा मातम : दुर्घटना की खबर मिलते ही कनकपुर और वीरपुर करौंदामुड़ा गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार दोपहर बाद तीनों युवकों का स्थानीय मुक्तिधाम में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन और परिचित शामिल हुए।

लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे : अंबिकापुर-बनारस राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी तथा एक ही बाइक पर तीन लोगों के सफर जैसी लापरवाहियां हादसों की बड़ी वजह बन रही हैं।

साहिल से सप्लायर तक 24 घंटे में पहुंची आबकारी टीम, लेकिन क्या अब भी अधूरी है नशे के नेटवर्क की कहानी?

'सुपरमैन' रंजीत गुप्ता की टीम ने 78 नशीले इंजेक्शन के साथ नितीश गुप्ता को दबोचा,दूसरा आरोपी फरार,लगातार कार्रवाई के बाद भी बड़े नेटवर्क पर उठ रहे सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

संभागीय आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में चल रहे 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत नशीले इंजेक्शनों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। श्याम लॉज से 20 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किए गए साहिल तिर्की से पूछताछ के आधार पर टीम ने महज 24 घंटे के भीतर उसके कथित सप्लायर नितीश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 39 नग REXOGESIC और 39 नग AVIL इंजेक्शन, कुल 78 इंजेक्शन बरामद किए गए। वहीं उसका भाई सौरभ गुप्ता अभी भी फरार है। आबकारी विभाग के अनुसार, 7 जुलाई को श्याम लॉज से गिरफ्तार साहिल तिर्की ने पूछताछ में बताया कि उसने नशीले इंजेक्शन सुभाष नगर स्थित किराये के मकान में रहने वाले दो भाइयों नितीश गुप्ता और सौरभ गुप्ता से खरीदे थे। दोनों मूलतः बलरामपुर जिले के चलगली थाना क्षेत्र के अलका गांव के निवासी हैं। साहिल के बयान के आधार पर आबकारी टीम ने उसी शाम सुभाष नगर स्थित किराये के मकान में दबिश दी। मौके पर नितीश गुप्ता बैग लेकर निकलने की तैयारी में मिला। तलाशी के दौरान बैग से 39 नग REXOGESIC और 39 नग AVIL इंजेक्शन बरामद हुए। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) और 29 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया,जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

लगातार दूसरी बार सप्लायर तक पहुंची टीम

हाल के दिनों में यह दूसरा बड़ा मामला है, जिसमें आबकारी उड़नदस्ता केवल कैरियर तक सीमित नहीं रही,बल्कि पूछताछ के आधार पर कथित सप्लायर तक भी पहुंची। इससे पहले वाहिद अंसारी की गिरफ्तारी के बाद मोशीम अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया था। अब साहिल तिर्की के मामले में भी टीम ने एक दिन के भीतर कथित सप्लायर तक पहुंचकर कार्रवाई की है। इससे यह संकेत मिलता है कि पूछताछ के आधार पर नेटवर्क की अगली कड़ियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

लेकिन हर कार्रवाई के बाद सामने आता है नया सप्लायर

हालांकि लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के बीच एक बड़ा सवाल फिर खड़ा हो गया है। वाहिद अंसारी,मोशीम अंसारी,प्रदीप राजवाड़े, लुंड्रा क्षेत्र के आरोपी,साहिल तिर्की और अब नितीश गुप्ता–लगातार नए नाम सामने आ रहे हैं। यह स्थिति इस ओर संकेत करती है कि नशीले इंजेक्शनों का नेटवर्क केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी कई परतें अब भी सक्रिय हो सकती हैं।

सप्लायर के ऊपर कौन?

आबकारी विभाग ने नितीश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और उसके भाई सौरभ गुप्ता की तलाश जारी है। लेकिन जांच का अगला और महत्वपूर्ण चरण यह होगा कि नितीश और सौरभ को नशीले इंजेक्शन कहां से मिल रहे थे।

- **क्या वे किसी बड़े सप्लायर से जुड़े थे?**
- **क्या इंजेक्शन वैध दवा वितरण प्रणाली से बाहर निकाले गए?**
- **क्या बैच नंबर के आधार पर सप्लाई चेन की जांच होगी?**
- **क्या इस मामले में औषधि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त जांच आगे बढ़ेगी?**

इन सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं।

ऑपरेशन क्लीन की अगली चुनौती

सुपरमैन रंजीत गुप्ता ने इस कार्रवाई को 'ऑपरेशन क्लीन' की बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि सरगुजा जिले के बचे हुए प्रमुख सप्लायरों में से एक तक टीम पहुंचने में सफल रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या जांच नितीश गुप्ता और उसके फरार भाई तक सीमित रहती है,या फिर उनके ऊपर मौजूद सप्लाई नेटवर्क की अगली कड़ियों तक भी पहुंचती है। क्योंकि नशे के कारोबार पर स्थायी रोक तभी संभव मानी जाएगी, जब केवल फुटकर विक्रेता ही नहीं, बल्कि पूरे सप्लाई नेटवर्क का खुलासा हो।

घर में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, गंभीर एनीमिया बना काल

एचबी मात्र 6.6 होने पर डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती होकर इलाज की दी थी सलाह, परिजन नहीं ले गए; स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता की कमी बताई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सकरिया में घर पर प्रसव के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। प्रसव के दौरान 26 वर्षीय गर्भवती महिला और उसके नवजात की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला गंभीर एनीमिया (खून की कमी) से पीड़ित थी।

चिकित्सकों ने पहले ही उसे अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराने और संस्थागत प्रसव की सलाह दी थी,लेकिन परिजन उसे अस्पताल नहीं ले गए। जानकारी के अनुसार ग्राम सकरिया के दरींडुगू निवासी सुखनी मझवार (26) अपने पति दिनेश मझवार के साथ तमिलनाडु में मजदूरी करती थी। दंपती 14 जून को गांव लौटा था। उस समय

सुखनी करीब आठ माह की गर्भवती थी। 21 जून को गांव की मितानिन उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुन्नी लेकर गई, जहां जांच में उसका हीमोग्लोबिन (एचबी) मात्र 6.6 ग्राम पाया गया। साथ ही उसका रक्तचाप भी सामान्य से अधिक था। चिकित्सकों ने अगले ही दिन अस्पताल आकर आयरन सुक्रोज चढ़ाने तथा आगे की जांच और उपचार के लिए जिला अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले गए और निर्धारित उपचार भी नहीं कराया गया। मंगलवार सुबह प्रसव पीड़ा शुरू होने पर घर में ही गांव की पारंपरिक दाई की मदद से प्रसव कराने का प्रयास किया गया। इसी दौरान प्रसूता और गर्भस्थ शिशु दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर लखनपुर बीएमओ के निर्देश पर आरएमए डॉ. विनोद कुमार भार्गव मौके पर पहुंचे और परिजनों के बयान दर्ज किए।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में गंभीर एनीमिया के कारण जच्चा-बच्चा की मौत होना प्रतीत हो रहा है। विस्तृत जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। डॉ. भार्गव ने कहा कि यदि समय पर अस्पताल में भर्ती कर उपचार कराया जाता और संस्थागत प्रसव कराया जाता, तो संभवतः मां और शिशु दोनों की जान बचाई जा सकती थी।

राजधानी बस की चपेट में आने से प्रधान आरक्षक की मौत

लुचकी घाट के पास दर्दनाक हादसा,पुलिस लाइन में पदस्थ जवान की मौके पर मौत,बस जब्त,चालक पर केस दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

शहर की पुलिस लाइन में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक की मंगलवार रात अंबिकापुर-रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। लुचकी घाट के पास तेज रफ्तार राजधानी बस की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। हादसे के बाद बस को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार

बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम गोदा मानापारा निवासी 53 वर्षीय श्रीराम लकड़ा अंबिकापुर पुलिस लाइन में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। वे गांधीनगर स्थित पुलिस कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे वे ड्यूटी पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। रात करीब 11 बजे उनकी पत्नी ने मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। परिजनों ने पहले यह समझा कि वे किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त होंगे। बुधवार सुबह पुलिस कॉलोनी के कर्मचारियों से सड़क दुर्घटना में उनकी मौत की सूचना मिलने पर परिवार में मातम छा गया। इसके बाद परिजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार मंगलवार रात करीब 9 बजे लुचकी घाट के पास उनकी बाइक को राजधानी बस क्रमांक सीजी 15 ए 5316 ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि प्रधान आरक्षक श्रीराम लकड़ा लुचकी घाट क्षेत्र में किस उद्देश्य से गए थे, इसका अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक अनुमान है कि वे अपने गृहग्राम बतौली गए थे और वापस लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गए।

बिजली उपभोक्ताओं को बताए गए अधिकार शिकायतों के समयबद्ध समाधान पर दिया गया जोर

-संवाददाता-
सूरजपुर,08 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सेवा मानकों एवं उपभोक्ता हितों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, अंबिकापुर द्वारा सूरजपुर में विद्युत उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, यह कार्यक्रम कार्यालय कार्यपालन अभियंता (संचालन/संधारण),छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,सूरजपुर में संपन्न हुआ। कार्यशाला में घरेलू एवं गैर-घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं से जुड़े उनके अधिकारों,सेवा मानकों तथा शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय-सीमा के भीतर विद्युत सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष डी.के. सैनी ने बताया कि नए बिजली कनेक्शन, निम्न दाब कनेक्शन का कन्वर्जन, मीटर संबंधी शिकायतें, जले या खराब मीटर का प्रतिस्थापन, बिजली बिल नहीं मिलने,बिलिंग त्रुटियों के सुधार,सुरक्षा जमा राशि की वापसी,विद्युत कनेक्शन विच्छेदन,लो-वोल्टेज की समस्या,नाम परिवर्तन, फ्यूज ऑफ कॉल,पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नेट मीटरिंग,सब्सिडी एवं टैरिफ श्रेणी परिवर्तन जैसी सेवाओं के लिए विद्युत वितरण कंपनी को निर्धारित समय-सीमा में कार्य करना अनिवार्य है।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राम देव प्रसाद आ0 स्व0 बैजनाथ निवासी कुसमी थाना कुसमी तहसील ने कराया है कि आवेदक के अपने बडी माँ (स्व0 फुलबसिया) आ0 पति रुपन की दिनांक 31/10/1979 को स्थान फुन्दुरडीहारी में हुई है आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है । अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 08/7/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर,सरगुजा

नाम परिवर्तन सूचना

मैं विजय कुमार कुजूर पिता स्व0 टुरा राम आयु लगभग 52 वर्ष निवासी दत्ताकालोनी नमनाकला थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0। यह कि मेरा पुत्र अनिश कुजूर कक्षा 10 वीं नियमित छात्र के रूप से उर्सलाईन इग्लिस मीडियम स्कूल अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 से सत्र -2024 में उत्तीर्ण किया है। मेरे पुत्र अनिश कुजूर के कक्षा 10वीं अंक सूची में लिपिकीय त्रुटिवश जन्म तिथि - 10.10.2009 दर्ज हो गया है, जबकि उसका वास्तविक जन्म तिथि- 09.10.2009 है, जो आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है, जो सत्य एवं सही है।
मेरे पुत्र अनिश कुजूर के उक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि - 10.10.2009 के स्थान पर सही जन्म तिथि- 09.10.2009 दर्ज किया जाये। जिस हेतु स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

शपथग्रहिता
विजय कुमार कुजूर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-27/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक वुधराम राजवाडे पिता रामफल, निवासी ग्राम भिट्ठीकला, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम भिट्ठीकला स्थित खसरा नंबर 24/1, 338/2, 380/4, 417/1 419/7, 1050/1, 1066/1 रकबा क्रमशः 0.040, 0.069, 0.048, 0.020, 0.020, 0.140,0.338 हे. कुल खसरा नंबर 07 कुल रकबा 0.675 हे. भूमि को उभयपक्ष के मध्य में 1/5 अंश में बटवारा किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 13/07/2926 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक:- 08/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — तहसीलदार अंबिकापुर,जिला-सरगुजा(छ0ग0)

न्यायालय नायब तहसीलदार सूरजपुर जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-21(4)/2025-26

ग्राम -नेवरा

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता ग्राम नेवरा को सूचित किया जाता है कि आवेदक अरुण कुमार अग्रवाल आ0 रामकुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी केतका रोड सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0) के द्वारा आवेदक के आधिपत्य एवं स्वामित्व की ग्राम नेवरा स्थित व्यपवर्तित भूमि खसरा न0 1793/1 रकबा 0.80 हे0 भूमि को सत्य प्रकाश आ0 अरूण अग्रवाल एवं श्याम प्रकाश आ0 अरूण कुमार अग्रवाल के पक्ष में दान पत्र निष्पादन करने की अनुमति बावत श्रीमान कलेक्टर महोदय सूरजपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से मुलतः जांच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या कोई संस्था को आपत्ति हो तो दिनांक 22/07/2026 को समय 11:00 बजे इस न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के मध्यम से आपत्ति करते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

आज दिनांक 22/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

सील — नायब तहसीलदार ,सूरजपुर

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,नवा रायपुर,अटल नगर
(केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ) ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

Main Portal:https://eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:-

स.क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक/दिनांक	कार्य का नाम	अनुमानित की अनुमानित लागत (रूपये लाख में)
1	194297 चतुर्थ आमंत्रण 25.06.2026	पी.एम. उषा योजनांतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर चतुर्थ आमंत्रण एकीकृत परीक्षा हॉल (प्रथम तल) भवन के निर्माण कार्य, वाटर सप्लाई,7 सेनेटरी फिटिंग्स एवं विद्युतीकरण सहित जमा कार्य ।	308.77
2	194310 द्वितीय आमंत्रण 25.06.2026	जिला सुकमा विकासखण्ड कोन्टा के ग्राम उरसंगाल में 100 सीटर 7 छात्रावास भवन निर्माण कार्य,विद्युतीकरण सहित जमा मद ।	238.02
3	194311 द्वितीय आमंत्रण 25.06.2026	जिला महासमुंद के बडेसाजापाली से करीभनियाडीपा से हेडसपाली पहुंच मार्ग लंबाई 6.00 कि.मी. पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य ।	494.24
4	194312 द्वितीय आमंत्रण 25.06.2026	जिला जशपुर के भेलवा से खाडुंग मार्ग पर खाडुंग नदी पर द्वितीय आमंत्रण उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य ।	474.98
5	194313 द्वितीय आमंत्रण 25.06.2026	रायगढ में शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य कला एवं विधि महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य, वा.स. से. फि. एवं विद्युतीकरण एवं पहुंच मार्ग का कार्य ।	582.18
6	194315 द्वितीय आमंत्रण 25.06.2026	जिला धमतरी के राजनांदगांव गुण्डरदेही धमतरी नगरी सिहावा बोराई (राज्य मार्ग क्र. 23) के कि.मी. 66/8 से 70 / 2 = 3.50 कि.मी. 7 आमदी नगर पंचायत में 4 लेन गौरव पथ एवं सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य ।	1926.10
7	194317 द्वितीय आमंत्रण 25.06.2026	जिला बस्तर के डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बैडमिंटन हॉल एवं जिम का निर्माण कार्य,जमा मद ।	349.24
8	194322 द्वितीय आमंत्रण 25.06.2026	जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ में विपश्यना केन्द्र पहुंच मार्ग (प्रज्ञागिरी बौद्ध तीर्थ) मार्ग लंबाई 1.00 कि.मी. का पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य ।	567.75
9	194323 द्वितीय आमंत्रण 25.06.2026	जिला धमतरी के मेघा बस्ती से शमशान घाट एवं गौठान पहुंच मार्ग द्वितीय आमंत्रण लंबाई 1.55 कि.मी. निर्माण कार्य,पुल पुलिया सहित ।	202.70
10	194328 प्रथम आमंत्रण 25.06.2026	जिला बिलासपुर के चोरहादेवरी - परसदा मार्ग खारून नदी में 7 उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य ।	768.16
11	194329 प्रथम आमंत्रण 25.06.2026	जिला बिलासपुर के चितावार - अमोरा मार्ग में मनियारी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य ।	350.78
12	194397 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सूरजपुर के भवन निर्माण कार्य जमा मद ।	419.03
13	194399 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला रायगढ के टुरटुरा गम्हार मार्ग के मध्य खारून नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य ।	622.43
14	194400 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला बिलासपुर के खोंगसरा- पीपरखुटी मार्ग में टेडगी नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य ।	450.40
15	194433 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला मुख्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा (अंबिकापुर) के कोर्ट मैनेजर, प्रशासनिक अधिकारी एवं तृतीय / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कुल 106 नग (2 नग एफ, 23 नग जी, 45 नग एच एवं 36 नग आई टाईप शासकीय आवास गृह का निर्माण कार्य ।)	1274.09
16	194435 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला बिलासपुर के पोडी- ऑक डी- लावर मार्ग के अरपा नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य ।	638.52
17	194438 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	जिला बिलासपुर के दगोरी- निपनिया मार्ग में शिवनाथ नदी पर चुराघाट के पास उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य ।	1112.99
18	194443 प्रथम आमंत्रण 30.06.2026	सरिया में विश्राम भवन 1 नग जी-टाईप, 2 नग आई - टाईप, क्वार्टर भवन का निर्माण, वा.स. से.फि. विद्युतीकरण, बाउण्ड्रीवाल एवं पहुंच मार्ग का कार्य ।	231.88

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथी सं.क. 01 दिनांक 13.07.2026 सं.क. 02 से सं.क्र. 09 दिनांक 16.07.2026 निर्धारित है। एवं अन्य शेष निविदाओं के लिए दिनांक 22.07.2026 निर्धारित है। निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है ।

मुख्य अभियंता
केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, वा रायपुर अटल नगर

जी0नं0 -262701898/5

कोरिया से बलरामपुर तक 'सरकारी एक्सप्रेस'!

कोरिया से बलरामपुर तक 'सरकारी जोड़ी'! तबादला सूची ने फिर खड़े किए 'सेटिंग' के सवाल

- तीन साल बाद बदली कुर्सी...लेकिन नहीं बदले साथी! कलेक्टर के बाद अब जिला पंचायत सीईओ भी पहुंचे उसी जिले में...
- तबादला या 'टीम ट्रांसफर'? कोरिया के दो बड़े अधिकारी अब फिर एक ही जिले में आमने-सामने...
- तबादला नीति या 'नेटवर्क नीति'? कलेक्टर पहले,सीईओ पीछे-पीछे...प्रशासनिक गलियारों में तेज हुई चर्चा...
- सरकारी तबादले का नया गणित! कोरिया की चर्चित जोड़ी अब बलरामपुर में, उठे कई सवाल...
- आशुतोष चतुर्वेदी का बलरामपुर स्थानांतरण बना चर्चा का विषय,पूर्व कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी पहले से हैं वहीं पदस्थ, प्रशासनिक पारदर्शिता पर उठे सवाल, सरकार से स्पष्टता की मांग...
- तबादला सूची ने खड़े किए कई सवाल,क्या यह महज संयोग है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर उठती धारणाओं को बल देने वाला एक और उदाहरण?

-रवि सिंह-

कोरिया,08 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक तबादला सूची में कोरिया जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत आशुतोष चतुर्वेदी का स्थानांतरण बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में जिला पंचायत सीईओ के पद पर कर दिया गया है,पहली नजर में यह एक सामान्य प्रशासनिक आदेश प्रतीत होता है, लेकिन जैसे-जैसे इस तबादले की पृष्ठभूमि सामने आती है,वैसे-वैसे कई सवाल प्रशासनिक व्यवस्था,तबादला नीति और सरकारी पारदर्शिता को लेकर खड़े होने लगे हैं। सबसे अधिक चर्चा इस बात की हो रही है कि कुछ समय पहले ही कोरिया जिले की तत्कालीन कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी का स्थानांतरण भी बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कलेक्टर के रूप में हुआ था,अब उनके साथ लंबे समय तक कार्य कर चुके जिला पंचायत सीईओ आशुतोष चतुर्वेदी का भी उसी जिले में स्थानांतरण होने से प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

तीन साल तीन महीने का लंबा कार्यकाल,फिर एक साथ नई मंजिल- कोरिया जिले में आशुतोष चतुर्वेदी का कार्यकाल सामान्य नहीं माना जाता,उन्होंने लगभग तीन वर्ष तीन माह तक जिला पंचायत सीईओ के रूप में कार्य किया,यह अवधि जिले में पदस्थ रहे जिला पंचायत सीईओ के सबसे लंबे कार्यकालों में से एक मानी जा रही है, सरकार ने इस बार तबादला सूची जारी करते हुए ऐसे अधिकारियों को भी बदला,जो लंबे समय से एक ही जिले में पदस्थ थे, इसी क्रम में आशुतोष चतुर्वेदी का नाम भी सूची में शामिल हुआ,लेकिन चर्चा केवल उनके स्थानांतरण की नहीं है, बल्कि उस जिले की है जहां उन्हें भेजा गया है।

तबादला सूची आते ही क्यों उठते हैं सवाल?-छत्तीसगढ़ ही नहीं,लगभग हर राज्य में तबादला सूची जारी होते ही चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है,कोई कहता है योग्यता चली, कोई कहता है सिफारिश चली,तो कोई कहता है जिसकी पहुंच, उसकी पसंद की पोस्टिंग,यह धारणा कितनी सही है और कितनी गलत, इसका निर्णय तथ्यों और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जा सकता है,लेकिन यदि आम जनता के बीच ऐसी धारणाएं लगातार बनती जा रही हैं,तो यह शासन व्यवस्था के लिए भी आत्ममंथन का विषय है।

एक कर्मचारी वर्षों प्रतीक्षा करता है...- प्रदेश में हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्षों से अपने गृह जिले में स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं,शिक्षक आवेदन देते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी गुहार लगाते हैं,पुलिसकर्मी पारिवारिक कारण बताते हैं,लेकिन उनका स्थानांतरण वर्षों तक नहीं हो पाता, दूसरी ओर जब कुछ अधिकारियों के तबादले ऐसे दिखाई देते हैं कि वे अपेक्षाकृत सहजता से मनचाहे या परिचित कार्यक्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तब आम कर्मचारी के मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं, यह प्रश्न केवल किसी एक अधिकारी से नहीं, बल्कि पूरी तबादला व्यवस्था से जुड़े होते हैं।

संयोग या चर्चा का विषय?

प्रशासनिक हलकों में सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या यह केवल संयोग है कि कोरिया जिले में वर्षों तक साथ काम करने वाले दो वरिष्ठ अधिकारी अब एक बार फिर एक ही जिले में साथ काम करेंगे? सरकारी सेवा में ऐसे उदाहरण पहले भी देखने को मिले हैं,जहां अधिकारी अलग-अलग जिलों में पुनः साथ पदस्थ हुए हैं, इसलिए केवल इस आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा,फिर भी जनमानस में उठ रहे सवालों ने इस स्थानांतरण को सामान्य प्रशासनिक आदेश से आगे चर्चा का विषय बना दिया है,चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही चर्चा सुनाई दे रही है क्या यह सिर्फ संयोग है,या फिर प्रशासनिक समन्वय की प्राथमिकता?

कोरिया में कैसा रहा कार्यकाल?

आशुतोष चतुर्वेदी के कार्यकाल में जिला पंचायत के माध्यम से अनेक विकास योजनाएं संचालित हुईं,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन,विभिन्न निर्माण कार्य, मनरेगा, आजीविका मिशन तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाएं उनके कार्यकाल में संचालित होती रहीं,लेकिन दूसरी ओर,उनके कार्यकाल के दौरान जिला खनिज न्यास मद के उपयोग,विभिन्न निर्माण कार्यों की प्राथमिकता,खर्च की पारदर्शिता तथा योजनाओं के चयन को लेकर समय-समय पर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और मीडिया द्वारा सवाल भी उठाए गए, हालांकि इन विषयों पर सार्वजनिक स्तर पर अनेक आरोप-प्रत्यारोप हुए, लेकिन किसी सक्षम न्यायिक या विभागीय प्राधिकारी द्वारा इन आरोपों को अंतिम रूप से सिद्ध किए जाने की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

प्रशासन में पारदर्शिता केवल आदेश से नहीं आती...

सरकार चाहे किसी भी दल की हो,वह सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करती है, लेकिन पारदर्शिता केवल नियम बनाने से नहीं आती,पारदर्शिता तब आती है जब जनता को यह विश्वास हो कि हर निर्णय निष्पक्ष तरीके से लिया गया है, यदि हर तबादला सूची के बाद लोगों के बीच चर्चा 'किसकी पहुंच ज्यादा थी' पर होने लगे, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की छवि के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता।

जनधारणा भी लोकतंत्र का हिस्सा है...

लोकतंत्र केवल कानून से नहीं चलता, यह जनता के विश्वास से भी चलता है,कई बार कोई निर्णय पूरी तरह नियमों के अनुसार होता है, लेकिन यदि उसकी प्रस्तुति या परिस्थितियां ऐसी हों कि लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाए, तो सरकार को उस संदेह को दूर करने की भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में केवल निष्पक्ष होना पर्याप्त नहीं होता, निष्पक्ष दिखाई देना भी उतना ही आवश्यक होता है।

क्या तबादला नीति और अधिक पारदर्शी हो सकती है?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार प्रत्येक स्थानांतरण के पीछे प्रशासनिक आवश्यकता,रिक्त पद,कार्यकाल तथा चयन के प्रमुख कारणों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे,तो अनावश्यक चर्चाओं पर काफी हद तक विराम लगाया जा सकता है, इससे कर्मचारियों और आम जनता दोनों का विश्वास बढ़ेगा।

प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखना भी जरूरी...

यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बिना ठोस साक्ष्यों के किसी अधिकारी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना उचित नहीं है,सरकारी स्थानांतरण शासन का प्रशासनिक अधिकार है, यदि किसी स्थानांतरण में किसी प्रकार की अनियमितता का आरोप लगाया जाता है तो उसके समर्थन में तथ्य,दस्तावेज और सक्षम जांच आवश्यक होती है,लेकिन दूसरी ओर यह भी उतना ही आवश्यक है कि सरकार ऐसे निर्णयों में अधिकतम पारदर्शिता अपनाए, जिससे किसी भी प्रकार की आशंका या अफवाह को स्थान न मिले।

जनता पूछ रही है...

कोरिया जिले में अब लोगों के बीच कई सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं क्या लंबे समय तक साथ काम करने वाले दो वरिष्ठ अधिकारियों का एक ही नए जिले में पहुंचना महज संयोग है? क्या तबादला नीति में प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी गई? क्या भविष्य में तबादला प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा? इन सवालों के उत्तर समय और शासन की कार्यप्रणाली ही दे सकेगी।

व्यंग्य की नज़र से...

सरकारी दफ्तरों में इन दिनों एक नई कहावत मजाक में सुनाई दे रही है तबादला वहीं होता है, जहां फाइल नहीं... किस्मत पहले पहुंच जाती है,तो कोई मुस्कुराकर कह देता है कुछ लोग जिले बदलते हैं...कुछ लोग अपनी टीम के साथ जिला बदल लेते हैं, यह व्यंग्य है,लेकिन व्यंग्य वहीं जन्म लेता है जहां व्यवस्था और जनधारणा के बीच दूरी बढ़ने लगती है।

डीएमएफ की फाइलों पर 'ब्रेक',विकास कार्यों पर संकट!

कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना,सौरव मिश्रा बोले... नोडल अधिकारी के अवकाश से करोड़ों के विकास कार्य प्रभावित

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन,लंबित भुगतान,रुकी फाइलों और प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की उठाई मांग...

-संवाददाता-

मनेन्द्रगढ़,08 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के कार्यों में कथित प्रशासनिक शिथिलता और विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उन्होंने जिला कलेक्टर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को ज्ञापन सौंपकर डीएमएफ के अंतर्गत लंबित फाइलों, रुके हुए भुगतानों और विकास कार्यों में हो रही देरी पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। सौरव मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है,लेकिन जमीनी स्तर पर जिला खनिज संस्थान न्यास की करोड़ों रुपये की राशि का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, उनके अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा,स्वास्थ्य, पेयजल,सड़क,भवन निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक उदासीनता के कारण प्रभावित हो रहे हैं।

नोडल अधिकारी के अवकाश से रुका काम-ज्ञापन में कहा गया है कि डीएमएफ के नोडल अधिकारी के अवकाश पर रहने के बावजूद किसी अन्य अधिकारी को प्रभार नहीं सौंपा गया,इससे विभाग की अनेक फाइलें लंबित हो गई हैं और स्वीकृत कार्यों के भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहे हैं, इसका असर निर्माण एजेंसियों,ठेकेदारों और हितग्राहियों पर पड़ रहा है,सौरव मिश्रा का कहना है कि कई मामलों में केवल औपचारिक आपत्तियां लगाकर फाइलों को महीनों तक लंबित रखा जा रहा है, जिससे विकास कार्यों की गति थम गई है,कई शासकीय भवनों के मरम्मत और रखरखाव के कार्य भी भुगतान नहीं होने के कारण प्रभावित हैं।

सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल-ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जिस निधि का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास करना है, वही निधि प्रशासनिक निर्णयहीनता और लापरवाही की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा कि यदि समय पर निर्णय लिए जाते और वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाती,तो विकास कार्य बाधित नहीं होते।

कांग्रेस की प्रमुख मांगें-ज्ञापन में जिला प्रशासन से मांग की गई है कि डीएमएफ के लिए तत्काल प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाए, लंबित सभी फाइलों का शीघ्र निराकरण किया जाए,स्वीकृत विकास कार्यों के रुके हुए भुगतानों का तत्काल भुगतान कराया जाए,अनावश्यक रूप से फाइलें लंबित रखने वाले अधिकारियों की जांच कर कार्रवाई की जाए, डीएमएफ निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के मूल उद्देश्य के अनुरूप प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए।

आंदोलन की चेतावनी-सौरव मिश्रा ने कहा कि यदि शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी और लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करेगी,उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

आंबा. कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ ने समय पर मानदेय की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनें शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण कड़ी : गुलाब कमरो

-संवाददाता-

मनेन्द्रगढ़,08 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ,छत्तीसगढ़ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एमसीबी जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया,ज्ञापन में समय पर मानदेय भुगतान,लंबित मानदेय एवं गरम भोजन मद की राशि का शीघ्र भुगतान तथा प्रत्येक माह निर्धारित समय सीमा के भीतर मानदेय जारी किए जाने की मांग की गई। संघ ने ज्ञापन में बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्यांश 5,500 एवं केन्द्रांश 4,500 सहित कुल 10,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता है। उनका कहना है कि राशि जिला

स्तर पर उपलब्ध होने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं होने से कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ज्ञापन के अनुसार वर्तमान में मई एवं जून 2026 का मानदेय लंबित है, इसके अलावा मार्च 2026 से जून 2026 तक गरम भोजन मद की राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है, संघ का कहना है कि अल्प मानदेय में एक ओर आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन एवं बच्चों के लिए व्यवस्थाएं करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर समय पर भुगतान नहीं होने से परिवार का भरण-पोषण करना भी कठिन हो रहा है, संघ ने कलेक्टर से मांग की है कि प्रत्येक माह का मानदेय 1 से 5 तारीख के बीच नियमित रूप से भुगतान

सुनिश्चित कराया जाए तथा सभी लंबित देयकों का तत्काल भुगतान कराया जाए, साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिनों के भीतर लंबित भुगतान नहीं किया गया तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं धरना-प्रदर्शन एवं आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी, जिसकी जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की होगी,समर्थन में ट्रेड यूनियन कौंसिल छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष एवं पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनें शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, उन्होंने कहा कि सरकार एवं प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रत्येक माह समय पर मानदेय मिले, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े और वे पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले संवर्त कुमार 'रूप'

मुख्यमंत्री ने उपहार स्वरूप पहाड़ी किसान महिलाओं द्वारा निर्मित हिमालय उत्पाद किया भेंट

सीएम ने देवभूमि व छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीच परस्पर संवाद व कार्य की बात कही...

मेरा बचपन मध्यप्रांत में बीताः मुख्यमंत्री

-संवाददाता-

बैकुंठपुर/कोरिया,08 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
मेरा बचपन मध्यप्रांत में गुजरा है, मैंने वहां अध्ययन किया है इसलिए मेरा जुड़ाव सदैव छत्तीसगढ़,मध्यप्रदेश से व्यक्तिगत रूप से रहा है।उक्त विचार देवभूमि उत्तराखंड के राजधानी देहरादून स्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्त किया। आपको बता दें कोरिया जिला बैकुंठपुर सहित संपूर्ण सरगुजा संभाग के लिए गौरव का विषय है कि जिले के होनहार कलमकार,वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी साहित्यकार,समाजसेवक,केंद्रीय उपाध्यक्ष जनहित संघ अंतर्गत पण्डो विकास समिति के केंद्रीय उपाध्यक्ष संवर्त कुमार रूप ने देवभूमि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात और संवाद किया,इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड के आध्यात्मिक वातावरण पर्यटन सभ्यता संस्कृति सांस्कृतिक विरासत ऐतिहासिक धरोहर प्रशासनिक व्यवस्था प्रवासीय व्यवस्था आदि विषय पर अपने विचार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि वे देवभूमि के सभी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत विश्व के मानचित्र में उकेरना चाहते हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश व मध्यप्रांत की यादो के लिए कहा कि उनका बचपन मध्य क्षेत्र में बीता है सीएम ने देवभूमि व छत्तीसगढ़ के बीच परस्पर संवाद व कार्य की बात कही।

उन्होंने आगामी कुंभ हरिद्वार में छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता सहित श्री रूप को विशेष तौर पर आमंत्रित किया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री रूप को पहाड़ी किसान महिलाओं द्वारा निर्मित हाउस आफ हिमालय उत्पाद एवं हिमालय साल भेंट करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

साबिर आलम
(आजीवन कारावास प्राप्त दोषी)

घटती-घटना ने 1 जुलाई को सबसे पहले किया खुलासा

13 साल तक अंबिकापुर में छिपा रहा वासेपुर का सजायाफ्ता गैंगस्टर!

छह दिन बाद जाकी पुलिस... तब तक आरोपी भी फरार, नामजद भी गायब

- 2013 से मोमिनपुरा में रह रहा था आरोपी
- पुलिस की पकड़ से निकलकर फिर हुआ फरार
- धनबाद पुलिस पहुंची, स्थानीय विरोध के बीच जावेद के साथ हुआ फरार
- बैतूल खान के खिलाफ FIR दर्ज
- आरोपी को संरक्षण देने वालों की भी भूमिका संदिग्ध

बैतूल खान
बस संचालक, मोमिनपुरा, अंबिकापुर
FIR में नामजद

जावेद आलम
आरोपी

साकिब अफजल उर्फ "नेता"
आरोपी

राजहंस नाम का दुरुपयोग, राजपरिवार की छवि धूमिल!

बस परमिट रद्द करने और संपत्ति कुर्क करने की मांग तेज

29 जून 2026	1 जुलाई 2026	2-4 जुलाई 2026	5 जुलाई 2026	5 जुलाई 2026 रात	अब स्थिति
घटना का दिन	पहली खबर	झारखंड पुलिस के प्रयास	दूसरी बड़ी खबर	FIR दर्ज	आरोपी और नामजद भी फरार
धनबाद पुलिस अंबिकापुर पहुंची, आरोपी को पकड़ा	घटती-घटना ने सबसे पहले प्रकाशित की	सूचना देती रही, लेकिन स्थानीय पुलिस ने नहीं की ठोस कार्रवाई	घटती-घटना ने फिर प्रमुखता से मामला उठाया	शाम 08:11 बजे अपराध क्रमांक 454/2026 दर्ज	साबिर आलम, बैतूल खान और अन्य सहयोगी भी फरार

राजहंस नाम पर उठे सवाल

- जशपुर के जुडे राजपरिवार की प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्ट कंपनी "राजहंस"
- आरोपियों ने नाम बदल-बदलकर इसका दुरुपयोग किया
- राजपरिवार की प्रतिष्ठा और नाम को किया धूमिल

RAJHANS
JASHPUR (JUDEV FAMILY)
A ROYAL LEGACY OF TRUST

आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

बस/वाहन परमिट निरस्त करने की मांग

संपत्ति की कुर्की के आदेश की मांग

आर्थिक नकेल के बिना नहीं पकड़े जाएंगे आरोपी

गंभीर आरोपों से घिरा पूरा नेटवर्क

- एसईसीएल में बसों और 40 एंबुलेंस संचालन के आरोप
- ठेकों में दबदबा बनाने, धमकी देने और वसूली की चर्चा
- झारखंड में कुर्की आदेश के बाद छिपकर अंबिकापुर में सक्रिय
- अवैध हथियार और काले धन की जांच की मांग

झारखंड से भागा,अंबिकापुर में बसा...अब पुलिस पूछ रही है-गैंगस्टर गया कहां?

घटती-घटना ने पहले किया खुलासा,पुलिस बाद में जागी...अब गैंगस्टर भी फरार,उसे पनाह देने के आरोपित भी लापता...

अंबिकापुर में मचा हड़कंप : आजीवन कारावास प्राप्त दोषी पुलिस की गिरफ्त से निकला...

पुलिस की गिरफ्त से छूटा सजायाफ्ता हत्यारा

अब जांच के घेरे में स्थानीय संपर्क और पुलिस समन्वय

झारखंड से अंबिकापुर तक फरारी का सफर,आजीवन कारावास प्राप्त दोषी के मामले ने खोले कई राज

पहले खबर को नजरअंदाज किया,फिर एफआईआर लिखी...अब पुलिस पूछ रही है...आरोपी गया कहां?

छह दिन की चुप्पी,फिर एफआईआर... लेकिन तब तक वासेपुर का सजायाफ्ता गैंगस्टर पुलिस की पकड़ से दूर...

अंबिकापुर में 13 साल तक छिपा रहा सजायाफ्ता गैंगस्टर? पुलिस की देरी ने खड़े किए कई बड़े सवाल...

जब तक पुलिस जागी,खेल खत्म हो चुका था...सजायाफ्ता गैंगस्टर और उसे संरक्षण देने के आरोपित दोनों फरार...

पहले खबर को नजरअंदाज किया, फिर एफआईआर लिखी...अब फरार गैंगस्टर और उसका नेटवर्क तलाश रही पुलिस...

13 साल तक शहर में रहा सजायाफ्ता,किसी को भनक नहीं...अब एफआईआर के बाद खुल रही हैं परतें

पनाह देने वाला वैदुल नामक बस संचालक फरार,सजायाफ्ता गैंगस्टर भी गायब...पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती...

खबर पहले आई,कार्रवाई बाद में हुई...क्या इसी देरी ने फरार करा दिया सजायाफ्ता गैंगस्टर?

सिस्टम से ज्यादा तेज निकला गैंगस्टर? छह दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर,अब पूरा नेटवर्क जांच के घेरे में...

-संवाददाता-

अंबिकापुर,08 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

झारखंड के धनबाद स्थित बहुचर्चित वासेपुर दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त फरार दोषी साबिर आलम के मामले ने अब केवल एक अपराधी की फरारी का रूप नहीं रखा है,बल्कि इसने सरगुजा पुलिस की कार्यप्रणाली,सूचना तंत्र,अंतरराज्यीय समन्वय और कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं,सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पुलिस की एफआईआर पर भरोसा किया जाए तो वर्ष 2013 से एक सजायाफ्ता और भगोड़ा अपराधी अंबिकापुर में पहचान छिपाकर रह रहा था, कारोबार कर रहा था और स्थानीय स्तर पर अपना नेटवर्क तैयार कर चुका था,फिर भी किसी एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी।

इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि दैनिक घटती-घटना ने इस मामले का खुलासा सबसे पहले 1 जुलाई 2026 के अंक में किया था,लेकिन पुलिस ने उस समय कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद 5 जुलाई को दैनिक घटती-घटना ने नए तथ्यों के साथ दूसरी बार मामला प्रमुखता से प्रकाशित किया,तब तक कई अन्य मीडिया संस्थानों ने भी खबर प्रकाशित कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 454/2026 दर्ज किया, लेकिन एफआईआर में यह उल्लेख किया कि जानकारी समाचार प्रकाशित होने पर मिली, यही वह बिंदु है जिस पर अब पत्रकारिता और पुलिस कार्रवाई दोनों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

राजहंस नाम पर भी उठे सवाल,जूदेव परिवार की प्रतिष्ठा को पहुंची ठेस की चर्चा-स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज हो गई है कि जिन आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है, वे लंबे समय से 'राजहंस' नाम से बसों का संचालन कर रहे थे, बताया जाता है कि 'राजहंस'नाम मूल रूप से जशपुर के जूदेव राजपरिवार से जुड़ी एक प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्ट पहचान रही है,ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि यदि किसी व्यक्ति या समूह ने इस नाम का उपयोग कर अपने व्यवसाय का संचालन किया और बाद में गंभीर आपराधिक मामलों में उसका नाम सामने आया,तो इससे उस प्रतिष्ठित नाम और उसकी साख पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है,दैनिक घटती-घटना ने पूर्व में भी समाचार प्रकाशित कर यह मुद्दा उठाया था कि कुछ लोग राजहंस नाम का उपयोग कर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं,अब ताजा घटनाक्रम के बाद यह बहस फिर तेज हो गई है कि प्रतिष्ठित संस्थाओं और परिवारों के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए भी प्रभावी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

सबसे पहले खबर आई, लेकिन पुलिस नहीं जागी...

29 जून 2026 को हुई घटना की जानकारी सबसे पहले दैनिक घटती-घटना तक पहुंची, अखबार ने 1 जुलाई को पूरे घटनाक्रम को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए यह सवाल उठाया कि झारखंड के चर्चित वासेपुर प्रकरण का सजायाफ्ता अपराधी अंबिकापुर में कैसे रह रहा है और स्थानीय स्तर पर उसे कौन संरक्षण दे रहा है,उधर, सूत्रों के अनुसार झारखंड पुलिस भी इस मामले में स्थानीय पुलिस से संपर्क कर रही थी और आवश्यक कार्रवाई के लिए आवेदन एवं जानकारी साझा कर रही थी, इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई,परिणाम यह हुआ कि जब तक पुलिस सक्रिय होती, तब तक घटनाक्रम पूरी तरह बदल चुका था।

एफआईआर ने स्वयं स्वीकार किया—साबिर आलम वर्षों से अंबिकापुर में था-थाना अंबिकापुर में दर्ज अपराध क्रमांक 454/2026 के अनुसार पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आने का दावा किया गया कि झारखंड के धनबाद निवासी साबिर आलम वर्ष 2001 के चर्चित दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास का दोषी है,उच्च न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी जारी हुए थे, एफआईआर में यह भी दर्ज है कि वर्ष 2013 से वह मोमिनपुरा,अंबिकापुर में पहचान छिपाकर रह रहा था,यदि यह तथ्य सही है तो यह केवल एक व्यक्ति के फरार रहने का मामला नहीं बल्कि पूरे सत्यापन तंत्र की विफलता का विषय बन जाता है।

बैतूल खान के खिलाफ एफआईआर, लेकिन बाकी नाम 'अज्ञात' क्यों?-एफआईआर में बस संचालक बैतूल खान का नाम दर्ज किया गया है, जबकि 'अन्य अज्ञात सहयोगी' लिखा गया है, दूसरी ओर पुलिस के अधिकृत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच में कई अन्य व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई है,स्थानीय स्तर पर जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें जावेद आलम सहित कई अन्य लोगों का उल्लेख किया जा रहा है,यदि पुलिस के पास अन्य लोगों के संबंध में भी तथ्य और साक्ष्य उपलब्ध हैं तो फिर एफआईआर में केवल एक नाम और बाकी 'अज्ञात' क्यों लिखा गया? यह प्रश्न भी अब चर्चा का विषय बन गया है।

स्थानीय सूत्रों का दावा सिर्फ शरण नहीं,वर्षों में खड़ा हुआ आर्थिक नेटवर्क

मामले से जुड़े स्थानीय सूत्रों का दावा है कि साबिर आलम अकेला नहीं था,उसके साथ जुड़े कुछ लोगों ने वर्षों में परिवहन, बस संचालन, एंबुलेंस संचालन,अचल संपत्ति और अन्य व्यवसायों में भी प्रभाव बढ़ाया,कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि झारखंड के एक अन्य वांछित अपराधी साकिब अफजल उर्फ 'नेता' का नाम भी स्थानीय चर्चाओं में सामने आता रहा है,हालांकि इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और इसकी जांच होना बाकी है।

धनबाद पुलिस आरोपी तक पहुंच गई,लेकिन फिर क्या हुआ?

जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली कि सजायाफ्ता आरोपी अंबिकापुर में रह रहा है,टीम ने कार्रवाई की,आरोपी पुलिस के कब्जे में भी आ गया, लेकिन इसी दौरान स्थानीय स्तर पर विरोध हुआ और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से निकल गया, इसके बाद संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन तब तक आरोपी गायब हो चुका था।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बस परमिट निरस्त करने और संपत्ति कुर्क करने की उठी मांग...

मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब स्थानीय स्तर पर यह मांग भी जोर पकड़ने लगी है कि केवल अपराध दर्ज कर लेने से आरोपियों तक पहुंचना संभव नहीं होगा, लोगों का कहना है कि यदि नामजद आरोपी और उनके सहयोगी लगातार फरार हैं, तो उनके आर्थिक और व्यावसायिक संसाधनों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए,मांग उठ रही है कि जिन बसों और परिवहन व्यवसाय का संचालन आरोपियों या उनसे जुड़े लोगों द्वारा किया जा रहा है,उनके परमिट की वैधानिक समीक्षा कर आवश्यक होने पर उन्हें निरस्त किया जाए,ताकि फरारी के दौरान आर्थिक गतिविधियां जारी न रह सकें, साथ ही,यदि जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान विधिक आधार बनता है, तो झारखंड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी आरोपियों की संपत्तियों की कुर्की जैसी वैधानिक कार्रवाई पर विचार किया जाए,स्थानीय लोगों का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश और कानूनी दबाव बढ़ने से फरार आरोपियों के सामने आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी से बच पाना कठिन हो सकता है,हालांकि ऐसी किसी भी कार्रवाई का अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय और संबंधित वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं कानून के प्रावधानों के अनुसार ही लिया जा सकता है।

5 जुलाई तक भी नहीं लिया संज्ञान,फिर दूसरे अखबार के बाद दर्ज हुई एफआईआर

दैनिक घटती-घटना ने 5 जुलाई को दूसरी बार विस्तृत समाचार प्रकाशित किया, इस बीच अन्य मीडिया संस्थानों ने भी समाचार प्रकाशित कर दिया था, इसके बाद अंबिकापुर पुलिस ने अपराध दर्ज किया,लेकिन एफआईआर में यह उल्लेख किया गया कि समाचार प्रकाशित होने पर जांच की गई और अपराध दर्ज किया गया,यहीं से नया विवाद शुरू होता है,यदि 1 जुलाई को प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई होती,यदि झारखंड पुलिस की सूचना पर समय रहते स्थानीय पुलिस सक्रिय होती, तो क्या सजायाफ्ता अपराधी पुलिस के हाथ से निकल पाता? क्या उसे भगाने वालों तक भी तत्काल पहुंचा जा सकता था? यही वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।

क्या केवल अपराध दर्ज कर देने से पूरी होगी जिम्मेदारी?

अब लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इतनी गंभीर घटना केवल एफआईआर दर्ज कर देने से समाप्त मानी जाएगी? एक ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय से आजीवन कारावास प्राप्त कर चुका हो, वर्षों तक शहर में रह सके, स्थानीय स्तर पर अपना नेटवर्क बना सके और फिर पुलिस कार्रवाई के दौरान फरार भी हो जाए, क्या इसे सामान्य घटना माना जा सकता है? जनता जानना चाहती है,यदि इतने बड़े अपराधी को शहर में रहने दिया गया तो जिम्मेदारी किसकी थी? यदि समय रहते कार्रवाई होती तो क्या आरोपी भाग पाता? क्या पुलिस अब भी उसे खोज पाएगी? या फिर यह मामला भी केवल कागजों में दर्ज होकर धीरे-धीरे ठंडा पड़ जाएगा?

अब स्थिति और भी गंभीर...

आज स्थिति यह है कि सजायाफ्ता गैंगस्टर साबिर आलम फरार है, एफआईआर में नामजद बैतूल खान भी फरार बताया जा रहा है,जिन अन्य लोगों की भूमिका की जांच की चर्चा है, उनमें से भी कई लोग कथित रूप से उपलब्ध नहीं हैं,यानी पुलिस के सामने अब केवल एक नहीं बल्कि कई फरार व्यक्तियों को खोजने की चुनौती है।

अब जांच का दायरा केवल फरारी नहीं होना चाहिए...

कानूनी जानकारों का मानना है कि अब जांच केवल आरोपी को पकड़ने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए,यह भी जांच होना आवश्यक है कि उसे शरण किसने दी? आर्थिक सहायता किसने दी? पहचान छिपाने में किसने मदद की? स्थानीय स्तर पर उसका नेटवर्क कैसे बना? यदि पुलिस कार्रवाई में बाधा पहुंची तो उसमें कौन-कौन शामिल थे? इतने वर्षों तक स्थानीय सत्यापन व्यवस्था उसे क्यों नहीं पकड़ सकी?

जनता उत्तर चाहती है,केवल कार्रवाई का आश्वासन नहीं...

इस पूरे मामले ने पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं यदि समय पर कार्रवाई होती तो शायद आज सजायाफ्ता अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होता और उसे कथित रूप से फरार कराने वाले भी कानून के शिकंजे में होते,अब जबकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रहती है या पूरे नेटवर्क की तह तक जाकर यह स्पष्ट करती है कि आखिर एक सजायाफ्ता गैंगस्टर वर्षों तक अंबिकापुर में कैसे रहा, किसके संरक्षण में रहा और पुलिस की आंखों के सामने से आखिर कैसे निकल गया।

CMYK

असली बारिश और केरल का झरना
बड़ी जद्दोजहद के बीच शूट हुआ ये मानसून सॉन्ग, श्रेया घोषाल की आवाज में बना कल्ट

श्रेया घोषाल का ये मानसून सॉन्ग केरल की असली बारिश और झरने के बीच शूट हुआ था। इसके सदाबहार लिरिक्स गुलजार ने लिखे थे। मानसून का मौसम आ गया है और बारिश की फुहारों के साथ अगर कोई गाना मिल जाए तो बात ही अलग है। बॉलीवुड में म्यूजिक लवर्स के लिए मानसून सॉन्ग्स की कोई कमी नहीं हैं लेकिन श्रेया घोषाल का ये गाना कई मायनों अलग और रियल है।

असली बारिश में शूट हुआ ये गाना

श्रेया घोषाल की आवाज में गाना मानसून स्पेशल तो है ही लेकिन ज्यादातर गानों की तरह इसे आर्टिफिशियल बारिश,झरने या लोकेशन पर शूट नहीं किया गया। बल्कि इसे एक नेचुरल लोकेशन के साथ-साथ,असली बारिश और असली नेचुरल झरने के बैकग्राउंड के साथ शूट किया गया। डायरेक्टर इस गाने के साथ दर्शकों को एकदम रियल एक्सपीरियंस देना चाहते थे और इसीलिए इस गाने को असली बारिश में शूट किया गया। हालांकि यह आइडिया काम भी आया और ये गीत बॉलीवुड के बेहतरीन मानसून सॉन्ग्स में शामिल हो गया।

कौन सा है ये गाना?

जिस गाने की यहां बात की जा रही है वह है-बरसो रे मेघा-मेघा जिसे ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया था। इस गाने को केरल की कई जगहों पर फिल्माया गया, जिसमें खूबसूरत और असली बारिश से भीगे नजारे भी शामिल थे। क्रू ने जान-बूझकर असली मॉनसून के मौसम में शूटिंग की,ताकि प्राकृतिक माहौल, बारिश और तूफान का बैकग्राउंड बनावटी न होकर पूरी तरह असली लगे।

श्रेया घोषाल की आवाज में बना आईकॉनिक

2007 में रिलीज हुई फिल्म गुरु के लिए बनाया गया यह मानसून ट्रैक (उस वक्त का ब्लॉकबस्टर गाना बन गया और आज भी म्यूजिक लवर्स की प्लेलिस्ट का हिस्सा बना हुआ है। इस गाने को आवाज देने वाली सिंगर श्रेया घोषाल को इसके लिए बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था।

ऐश्वर्या पर फिल्माया गया आईकॉनिक गाना

इस गाने के बोल गुलजार ने लिखे थे और इसका म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया था। वहीं इसकी कोरियोग्राफी सरोज खान ने की थी। यह गाना सुजाता पर फिल्माया गया है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने के लिए अपने माता-पिता को छोड़ने का फैसला करती है। बाद में, सुजाता आखिरकार अपने माता-पिता को उसके लिए छोड़ देती है। गुरु 2007 की ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशक मणिरत्नम हैं। फिल्म में अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, मिथुन चक्रवर्ती, आर. माधवन और विद्या बालन ने काम किया है।

पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओह माय डॉग का टीजर जारी

ओह माय गॉड 2 जैसी सफल फिल्म देने वाले निर्देशक अमित राय अब दर्शकों के लिए एक कहानी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है-ओह माय डॉग। फिल्म की टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर में इंसानों और कुत्तों के बीच बिना शर्त प्यार और वफादारी की एक कहानी की झलक दिखती है। टीजर की शुरुआत अमिताभ बच्चन के मशहूर गाने मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो से होती है, जो तुरंत पुरानी यादें ताजा कर देता है। साथ ही कहानी की मासूमियत, अपनापन और इमोशनल गहराई को खूबसूरती से दिखाता है। यह फिल्म 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ओह माय डॉग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्यार,दोस्ती,दया और करुणा जैसे विषयों को दिखाते हुए 250 से ज्यादा कुत्तों को शामिल करती है। फिल्म ओह माय डॉग में माही राय,पंकज त्रिपाठी,गीता अग्रवाल शर्मा,राजेश कुमार,पवन मल्होत्रा, सुलक्षणा बरुआ और विजय मिश्रा नजर आएंगे। इस फिल्म में 250 से ज्यादा कुत्ते हैं। वहीं ऑस्कर और ब्रूनो नाम के प्रशिक्षित डॉग्स भी फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह फिल्म एक छोटे बच्चे और कुत्ते के बीच के खूबसूरत रिश्ते की दिल को छू लेने वाली कहानी बताती है।

गोविंदा के साथ काम करते वक्त क्यों घबरा गई थीं शिल्पा?

90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर ने अपने फिल्मी करियर से जुड़ा एक ऐसा किस्सा साझा किया है,जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। शिल्पा ने बताया कि सुपरहिट फिल्म हम की शूटिंग के दौरान वह एक खतरनाक हादसे का शिकार होते-होते बची थीं। इस फिल्म में उनके साथ गोविंदा, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसे बड़े सितारे नजर आए थे। शिल्पा ने यह खुलासा डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 में किया, जहां उन्हें गोविंदा की ओर से एक खास वीडियो मैसेज के जरिए सरप्राइज दिया गया। इस दौरान गोविंदा ने फिल्म हम की शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी सुनाया। गोविंदा ने बताया कि उस सीन के दौरान शिल्पा को तैरना नहीं आता था और वह पानी में गिर गई थीं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें भी अच्छी तरह तैरना नहीं आता था और उनके पास कोई खास स्विमिंग गियर भी नहीं था। जब शिल्पा पानी में चली गईं तो वह घबरा गए और उन्हें ढूंढने लगे। इसके बाद उन्होंने पानी में जाकर शिल्पा को बाहर निकाला। गोविंदा की बात सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े। वहीं शिल्पा भी मुस्कुराते हुए पूरा किस्सा सुनती रहीं। इसके बाद उन्होंने बताया कि उस दौर में फिल्मों की शूटिंग के दौरान सुरक्षा के इंतजाम आज की तरह नहीं होते थे।

शिल्पा ने कहा कि फिल्म हम के एक सीन की शूटिंग के समय वह पानी के बीच में थीं। उन्होंने भारी लैदर की पैंट और कॉस्ट्यूम पहन रखा था, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान वहां बहुत कम लोग मौजूद थे और कोई लाइफ जैकेट या सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं था। अभिनेत्री ने बताया कि वह उस समय काफी डर गई थीं क्योंकि पानी के बीच में शूटिंग हो रही थी और उन्हें तैरना भी नहीं आता था। भारी कपड़ों के कारण उनका डर और बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि उस समय कलाकारों को कई बार बिना पर्याप्त सुरक्षा के ही मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। हालांकि डर और परेशानी के बावजूद शिल्पा और पूरी टीम ने उस सीन को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने बताया कि उस दौर में फिल्मों की शूटिंग में

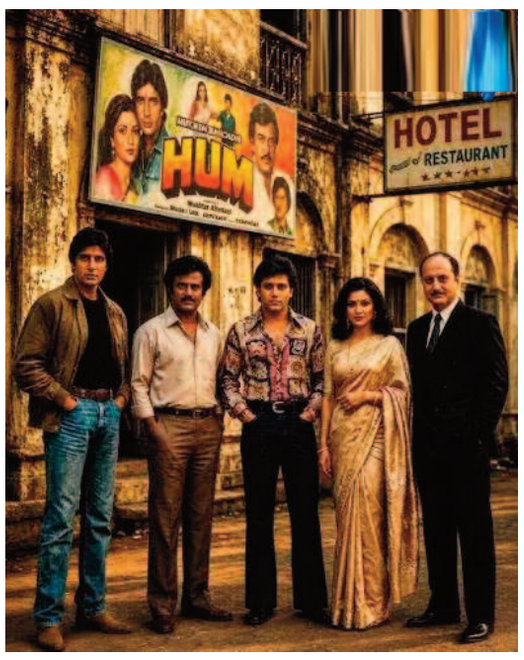

कलाकारों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। बता दें कि फिल्म हम साल 1991 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन मुकुल एस आनंद ने किया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन,रजनीकांत,गोविंदा और किमी काटकर जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुई थी। इसका लोकप्रिय गाना जुम्मा चुम्मा दे दे आज भी दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जाता है। शिल्पा शिरोडकर का यह खुलासा एक बार फिर उस दौर की फिल्मों की शूटिंग की मुश्किलों और कलाकारों के संघर्ष को सामने लाता है।

मालविका मोहनन का बोल्ड लुक देख फैंस हुए लट्टू,एक्ट्रेस ने बिकिनी में ढाया कहर

अभिनेत्री मालविका मोहनन आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उनके सोशल मीडिया पर छाने की वजह से उनकी खूबसूरत फोटोज,जो आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि मालविका मोहनन फैंस की फेवरेट हीरोइन में से एक हैं। मालविका इंटरनेट पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और फैंस को सरप्राइज करने का मौका नहीं छोड़ती हैं। अब अभिनेत्री ने बिकिनी फोटोज से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है।अभिनेत्री मालविका ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपनी बिकिनी फोटोज साझा की हैं, जिसमें उनका बोल्ड लुक दिखा। पेस्टल कलर की बिकिनी में मालविका किलर लगीं। बिकिनी को उन्होंने प्रिंटेड स्कार्फ से कवर किया हुआ था, जो ट्रॉपिकल लुक के लिए एकदम परफेक्ट है। नीले आसमान, रेत और पेड़ों के बीच मालविका का हॉलिडे आउटफिट कंफर्ट, एलीगेंस और मॉडर्न बीचवियर को दर्शाता है।

जब बात हॉलिडे ड्रेसिंग की आती है, मालविका मोहनन को पता है कि बिना किसी दिखावे के स्टाइल कैसे बनाए रखना है। उनका लेटेस्ट बीच लुक फ्रेश,मिनिमल और लग्जरी आइलैंड गेटअवे के लिए एकदम सूट करता है। अभिनेत्री मालविका मोहनन रेत पर पेस्टल टोन की सॉफ्ट बिकिनी में क्लासी लुक से ध्यान खींचती दिखीं। स्टाइलिंग को मिनिमल रखते हुए मालविका ने अपने आउटफिट के साथ मेटालिक बैंगल्स का स्टैक पहना। लंबे स्टेटमेंट ईयररिंग्स, ओपन हेयर और लाइट मेकअप से उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया। उनका दमकता हुआ चेहरा धूप में और भी निखरा दिखा। फैंस मालविका के बिकिनी लुक को परफेक्ट और क्लासी बता रहे हैं। फैंस फायर इमोजी बनाकर उनके बिकिनी लुक को एक नंबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि मालविका मोहनन ने कई मूवीज में अभिनय कर चुकी हैं।

खेल समाचार

लॉर्ड्स टेस्ट के बाद संन्यास लेंगी इंग्लैंड की दिग्गज खिलाड़ी

इंग्लैंड की अनुभवी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है... 2009 में डेब्यू करने वाली ब्यूमोंट का यह 261 वां अंतरराष्ट्रीय मैच होगा...

नई दिल्ली,08 जुलाई 2026। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारत के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाने वाला एकमात्र टेस्ट मैच उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला होगा। ब्यूमोंट महिला क्रिकेट इतिहास में इंग्लैंड की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक के रूप में विदा लेंगी,जिनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। साल 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाली टैमी ब्यूमोंट अब तक इंग्लैंड के लिए 260 मैच खेल चुकी हैं और भारत के खिलाफ होने वाला यह ऐतिहासिक लॉर्ड्स टेस्ट उनके करियर का 261वां और आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। ब्यूमोंट का करियर ग्राफ बेहद शानदार रहा है, खासकर साल 2017 का वनडे विश्व कप,जहां वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी थीं और इंग्लैंड को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई थीं।

टैमी ब्यूमोंट ने क्या कहा...

अपने संन्यास की घोषणा करते हुए टैमी ब्यूमोंट काफी भावुक नजर आईं। उन्होंने क्रिकेट के सफर और इस खेल के बदलते स्वरूप को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। टैमी ब्यूमोंट ने अपने बयान में कहा, लगभग 17 सालों तक इंग्लैंड के लिए खेलना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान रहा है। जब एक छोटी बच्ची के रूप में मुझे क्रिकेट से प्यार हुआ था,तब मुझे यह भी नहीं पता था कि इंग्लैंड के लिए खेलना भी कोई विकल्प है। यह सोचना मुझे बहुत खुशी देता है कि इस गर्मी में कितने लड़के और लड़कियां इस खेल से प्रेरित हुए हैं और हमारे देश में क्रिकेट कितनी दूर तक आ गया है। लॉर्ड्स के मैदान पर होने वाला यह टेस्ट मैच,जो लॉर्ड्स में हमारा पहला महिला टेस्ट है, एक ऐसे करियर को अलविदा कहने के लिए सबसे सही मौका है,जिसके इतने खास होने का सपना मैंने कभी नहीं देखा था। ब्यूमोंट ने यह भी साफ किया कि भले ही वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह रही हैं,लेकिन वे घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगी। उन्होंने इन सालों में मिले प्यार और सहयोग के लिए फैंस, कोचों, सपोर्ट स्टाफ,टीम साथियों और अपने परिवार का शुक्रिया अदा किया।

एमैच्योर से लीजेंड बनने का सफर

इंग्लैंड महिला क्रिकेट की मैनेजिंग डायरेक्टर क्लेयर कॉनर ने ब्यूमोंट के योगदान को अविस्मरणीय बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि टैमी ने इंग्लैंड क्रिकेट के लिए जो किया है, उसे शब्दों में बयां करना या मापना नामुमकिन है। कॉनर ने ब्यूमोंट के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया, टैमी ने अपने करियर के शुरुआती कुछ साल एक एमैच्योर खिलाड़ी के रूप में खेले। वे उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय करियर खेल के प्रति असाधारण समर्पण, प्रतिबद्धता और प्यार से बना है। वह उन 18 खिलाड़ियों के समूह में शामिल थीं जिन्हें 2015 में पहली बार इंग्लैंड महिला केंद्रीय अनुबंध मिला था। इसके बाद उन्होंने शीर्ष क्रम में रनों का जो अंबार लगाया, उसने उन्हें खेल के महानतम बल्लेबाजों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है।

नोवाक जोकोविच 15 मिनट की जंग जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचे

लंदन,08 जुलाई 2026। टेनिस जगत के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया के सबसे बड़े फाइटर्स में क्यों गिना जाता है। विंबलडन 2026 के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जबरदस्त संघर्ष के बाद जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। सर्बिया के 39 वर्षीय खिलाड़ी ने कनाडा के फेलिक्स असगर के खिलाफ पांच घंटे 15 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की। यह मुकाबला विंबलडन इतिहास के सबसे लंबे पुरुष क्वार्टर फाइनल मैचों में शामिल हो गया।

जोकोविच ने मैच में कई बार मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अपने अनुभव,धैर्य और मानसिक मजबूती के दम पर वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। पांच सेट की रोमांचक लड़ाई क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। जोकोविच ने पहला सेट टाई-ब्रेकर में 7-6(10) से जीता, लेकिन ऑगर-अलियासिमे ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद जोकोविच ने तीसरे सेट में अपना अनुभव दिखाया और 6-3 से बढ़त बना ली। हालांकि

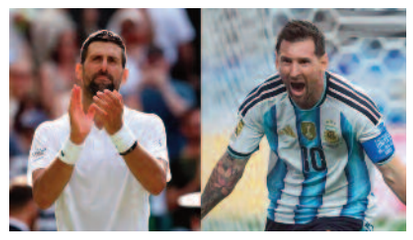

कनाडाई खिलाड़ी ने हार नहीं मानी और चौथे सेट को 6-7(4) से जीतकर मुकाबले को निर्णायक पांचवें सेट तक पहुंचा दिया। पांचवें सेट में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। आखिरकार जोकोविच ने टाई-ब्रेकर में 7-6(4) से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया। विंबलडन करियर की यादगार जीत यह जीत जोकोविच के विंबलडन करियर की सबसे नाटकीय जीतों में से एक मानी जा रही है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी फिटनेस,मानसिक मजबूती और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता ने सभी को प्रभावित किया। मैच के दौरान उन्हें कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा,लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति और अनुभव के सहारे वापसी की।

इंग्लैंड बनाम भारत मैच आज

ब्रिस्टल,08 जुलाई 2026। भारत को गुरुवार को काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी 20 आई में जीतना जरूरी है, क्योंकि मेहमान टीम 0-2 से पीछे होने के बाद पांच मैचों की सीरीज में बने रहने के लिए जीत की जरूरत है। पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन इंग्लैंड ने दो पूरे हुए मैचों में अपना दबदबा बनाया है, और ट्रेंट ब्रिज में 125 रन की ज़बरदस्त जीत के साथ अपनी वापसी का सिलसिला जारी रखा, जो टी-20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की सबसे बड़ी हार थी।

बैटिंग यूनिट इंग्लैंड की पेस और बाउंस का सामना करने में जूझ रही है, ऐसे में ध्यान इस बात पर चला गया है कि क्या भारत का थिंक टैंक इस गिरावट को रोकने के लिए बदलाव करेगा। सबसे ज़्यादा चर्चा संजू सैमसन को लेकर हो रही है,जो टीनएज ओपनर वैभव सूर्यवंशी के लिए जगह बनाने के बाद बाहर हो गए हैं। भारत के सामने अब यह तय करने की चुनौती है कि टॉप ऑर्डर का बैलेंस बिगाड़े बिना अनुभवी बैटर को वापस लाया जाए या नहीं। मिडिल ऑर्डर भी स्थिरता देने में नाकाम रहा है,जबकि भारत के बॉलिंग अटैक में अहम मौकों पर पैठ की कमी रही है। स्पिनर्स, जिनसे बीच के ओवरों को कंट्रोल करने की उम्मीद थी,वे लगातार दबाव नहीं बना पाए हैं, जिससे पेस अटैक को बहुत कुछ करना पड़ रहा है। इस बीच,इंग्लैंड के पास उस कॉम्बिनेशन को बदलने की कोई खास वजह नहीं है जिसने सभी डिपार्टमेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल सॉल्ट के फॉर्म में लौटने से बैटिंग मजबूत हुई है, जबकि जोफ्रा आर्चर और जोश टंग की तेज गेंदबाजी जोड़ी ने लगातार अपनी पेस और मूवमेंट से भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया है। भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए, गुरुवार का मैच कमान संभालने के बाद अपनी पहली जीत दर्ज करने और सीरीज के आखिरी मैच से पहले मोमेंटम लाने का मौका है। हालांकि, एक और हार इंग्लैंड को एक गेम बाकी रहते सीरीज जीतने का मौका देगी और भारत के सिलेक्शन और टैक्टिकल फैसलों पर जांच तेज हो जाएगी।

वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ 23 साल बाद जीती टेस्ट सीरीज

एंटीगुआ,08 जुलाई 2026। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। श्रीलंका से मिले 302 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 109 रन बनाए, जिसके बाद दोनों कप्तानों ने ड्रॉ पर सहमति जताई। दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही वेस्टइंडीज ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया। वेस्टइंडीज ने 23 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को अपने नाम किया है। इसके साथ ही पिछले 3 साल और 5 महीने में यह कैरेबियाई टीम की पहली टेस्ट सीरीज जीत है। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज को जॉन कैंपबेल और ब्रैंडन किंग ने शानदार शुरुआत दी। दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली। कैंपबेल 113 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि किंग 5 चौके और एक छक्के की मदद से 51 रन बनाकर नॉटआउट रहे। इससे पहले , श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी 9 विकेट खोकर 251 रन बनाने के बाद घोषित की।

टीम की तरफ से दिनेश चांदीमल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 107 गेंदों का सामना करते हुए 71 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, कामिंदु मेंडिस ने 58 गेंदों में 44 रन बनाए। सोनल दिनुशा ने 28 और धनंजय डी सिल्वा ने 34 रनों का योगदान दिया। वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी में अल्जारी जोसेफ ने 2 विकेट चटकाए, तो शेमार जोसेफ, रोस्टन चेज और जेयडन सील्स ने एक-एक विकेट चटकाया।श्रीलंका ने पहली पारी में 9 विकेट गंवाकर 549 रन बनाने के बाद अपनी पहली पारी को घोषित किया था। टीम की ओर से लाहिरू उदारा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 188 रनों की उम्दा पारी खेली, जबकि सोनल ने 92 और कामिंदु मेंडिस ने 84 रनों का योगदान दिया। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम पहली इनिंग में 499 रन बनाकर ऑलआउट हुई। कैरेबियाई टीम की तरफ से कप्तान शाई होप और जस्टिन ग्रीव्स ने शतकीय पारी खेली। होप ने 112 रन बनाए, तो ग्रीव्स 180 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या का शिकार बने। वहीं, कैंपबेल ने 72 बनाए। पहली पारी के आधार पर श्रीलंका ने 50 रनों की बढ़त हासिल की थी।

50 लाख का नोटिस भेजा...अब हिंदी में भेजने की बारी!

हिंदी में नोटिस प्राप्त होने के बाद ही दिया जाएगा बिंदुवार विस्तृत उत्तर, जनहित में प्रकाशित समाचार को दबाने का प्रयास स्वीकार नहीं

हिंदी में खबर... अंग्रेजी में नोटिस! संपादक ने उठाया सवाल- संवाद चाहिए या कानूनी दबाव?

संपादक का जवाब- सवालों से नहीं बचेंगे, हिंदी में नोटिस दीजिए... हर बिंदु का दस्तावेज़ी जवाब मिलेगा

दैनिक घटती-घटना ने कहा सार्वजनिक दस्तावेजों,उपलब्ध अभिलेखों और जनहित के आधार पर प्रकाशित समाचारों पर कायम है अखबार

-रवि सिंह-

अंबिकापुर/रायपुर,08 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के दो अधिकारियों की ओर से दैनिक घटती-घटना के संपादक को भेजे गए 50 लाख रुपये के मानहानि संबंधी विधिक नोटिस के मामले में अखबार के संपादक ने अपना प्रारंभिक उत्तर भेज दिया है,इस उत्तर में सबसे पहले विधिक नोटिस की भाषा पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया है कि जिस समाचार को आधार बनाकर यह नोटिस भेजा गया,वह पूरी तरह हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था,जबकि विधिक नोटिस संपूर्ण रूप से अंग्रेजी भाषा में भेजा गया है। संपादक ने स्पष्ट किया है कि दैनिक घटती-घटना एक पंजीकृत हिंदी दैनिक समाचार पत्र है,जिसके समस्त संपादकीय कार्य,प्रकाशन, संवाद एवं पत्राचार हिंदी भाषा में संचालित होते हैं, ऐसे में यदि वास्तव में उद्देश्य समाचार पत्र से तथ्यात्मक उत्तर प्राप्त करना था,तो विधिक नोटिस हिंदी भाषा में अथवा उसका अधिकृत हिंदी अनुवाद भी भेजा जाना चाहिए था,जिससे समाचार पत्र बिना किसी भाषाई बाधा के नोटिस का परीक्षण कर अपना विधिसम्मत उत्तर प्रस्तुत कर सके।

भाषा पर उठाया पहला प्रश्न

संपादक द्वारा भेजे गए प्रारंभिक उत्तर में कहा गया है कि किसी हिंदी समाचार पत्र को, जिसकी पूरी कार्यप्रणाली हिंदी में संचालित होती है,केवल अंग्रेजी भाषा में विधिक नोटिस भेजना स्वाभाविक संवाद की भावना के अनुरूप प्रतीत नहीं होता, उत्तर में कहा गया है कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तथ्यात्मक संवाद स्थापित करने की अपेक्षा औपचारिक कानूनी दबाव बनाने का प्रयास अधिक किया गया है,

हिंदी नोटिस मिलने के बाद दिया जाएगा विस्तृत जवाब

प्रारंभिक उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जैसे ही विधिक नोटिस हिंदी भाषा में अथवा उसका अधिकृत हिंदी अनुवाद प्राप्त होगा,उसके प्रत्येक बिंदु का दस्तावेज़ों,विधिक प्रावधानों तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा, संपादक ने कहा है कि वर्तमान उत्तर केवल भाषा संबंधी प्रारंभिक आपत्ति है तथा इसे नोटिस में लगाए गए आरोपों की स्वीकृति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

समाचार सार्वजनिक महत्व के विषयों पर आधारित

उत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन समाचारों को आधार बनाकर मानहानि का नोटिस भेजा गया है, वे किसी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित नहीं थे,प्रकाशित समाचारों का विषय सार्वजनिक नियुक्तियां,विभागीय पदोन्नति,वरिष्ठता सूची,शैक्षणिक योग्यता,भर्ती प्रक्रिया,विभागीय निर्णय और उन पर उठे सार्वजनिक प्रश्न थे,संपादक ने कहा है कि ऐसे विषय लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा होते हैं और मीडिया का दायित्व उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर जनहित से जुड़े प्रश्नों को समाज के सामने रखना है।

हालांकि, संपादक ने यह भी स्पष्ट किया है कि समाचार पत्र किसी भी प्रकार के वैधानिक दायित्व से पीछे नहीं हट रहा है और नोटिस का विधिसम्मत उत्तर देने के लिए तैयार है।

नोटिस के आरोपों को स्वीकार नहीं किया- प्रारंभिक उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि समाचार पत्र नोटिस में लगाए गए किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं करता, साथ ही कहा गया है कि नोटिस में लगाए गए सभी आरोपों का बिंदुवार उत्तर उचित भाषा में नोटिस प्राप्त होने के बाद दिया जाएगा, संपादक ने यह भी स्पष्ट किया कि समाचार पत्र अपने सभी संवैधानिक, वैधानिक एवं विधिक अधिकार सुरक्षित रखते हुए आगे की कार्रवाई करेगा।

जनहित की पत्रकारिता जारी रहेगी- उत्तर में कहा गया है कि दैनिक घटती-घटना अपने स्थापना काल से ही जनहित, निष्पक्षता और तथ्यपरक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर कार्य करता आया है। भविष्य में भी सरकारी नियुक्तियों, प्रशासनिक निर्णयों तथा सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों के आधार पर समाचार प्रकाशित किए जाते रहेंगे, समाचार पत्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का विधिक नोटिस या दबाव उसकी संपादकीय स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करेगा तथा यदि किसी समाचार में कोई तथ्यात्मक आपत्ति होती है तो उसका परीक्षण निष्पक्ष रूप से किया जाएगा।

अब दस्तावेजों के आधार पर होगी आगे की पड़ताल- दैनिक घटती-घटना ने संकेत दिया है कि इस पूरे मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों, विश्वविद्यालयों तथा संबंधित संस्थाओं से अभिलेख प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मागे गए दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराए, इन अभिलेखों के आधार पर आगे की खोजी रिपोर्टें प्रकाशित की जाएंगी, ताकि भर्ती, शैक्षणिक योग्यता सत्यापन, वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़े सभी तथ्य सार्वजनिक रूप से सामने आ सकें।

घटती-घटना | राजधानी समाचार | अम्बिकापुर सोमवार 06 जुलाई 2026 | 8

लीगल नोटिस प्रकरण:

समाचार एवं जवाब की पूरी जिम्मेदारी अब विशेष प्रतिनिधि रवि सिंह के पास

1 जुलाई 2026 को प्राप्त हुआ मानहानि का लीगल नोटिस

हिंदी अखबार को अंग्रेजी में लीगल नोटिस, क्या अपनी ही बात पर भरोसा नहीं?

हम निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनहित आधारित पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

नोटिस मिला,जवाब भी मिलेगा...तथ्यों और दस्तावेजों के साथ

हिंदी खबर पर अंग्रेजी में नोटिस! अब विधिक जवाब की जिम्मेदारी रवि सिंह के पास...

1 जुलाई 2026 को प्राप्त हुआ मानहानि का लीगल नोटिस,समाचार से जुड़े सभी तथ्य,दस्तावेज और विधिक जवाब रवि सिंह के माध्यम से प्रस्तुत होंगे

संपादक के प्रारंभिक जवाब के प्रमुख बिंदु

- हिंदी समाचार पत्र को अंग्रेजी में विधिक नोटिस भेजे जाने पर आपत्ति।
- हिंदी भाषा में नोटिस अथवा अधिकृत अनुवाद मिलने के बाद विस्तृत उत्तर देने की घोषणा।
- नोटिस में लगाए गए किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया।
- समाचारों को जनहित एवं सार्वजनिक महत्व के विषयों पर आधारित बताया।
- संपादकीय स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।
- सूचना के अधिकार के माध्यम से दस्तावेज जुटाकर आगे भी तथ्य आधारित रिपोर्टिंग जारी रखने की बात कही।

7 टीचरों की गिरफ्तारी नहीं होगी..नौकरी पाने में गड़बड़ी का आरोप,हाईकोर्ट से फिलहाल राहत

बिलासपुर,08 जुलाई 2026। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने धमतरी जिले की वर्ष 2007 की शिक्षाकर्मी ग्रेड-3 भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े 18 साल पुराने मामले में सात आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बैंच ने कहा कि इसी मामले में समान आरोपों वाले अन्य सह-आरोपियों को पहले ही राहत मिल चुकी है, इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ताओं को भी जमानत का लाभ दिया जाना उचित है। कोर्ट ने सात अलग-अलग आपराधिक अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। दरअसल, वर्ष 2007 में जनपद पंचायत मगरलोड में शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के 172 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी। आरोप है कि चयन समिति के सदस्यों और अन्य आरोपियों ने साजिश के तहत कुछ अभ्यर्थियों के फर्जी या अमान्य दस्तावेजों के आधार पर अंक बढ़ाकर उन्हें चयनित करा दिया, इसके चलते पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली और वे बाहर हो गए। इस संबंध में वर्ष 2011 में पुलिस थाना मगरलोड में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(9)(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत कई समितियों और स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद हुई थी। करीब 5,000 आवेदन प्राप्त हुए थे,जिनकी अलग-अलग स्तर पर जांच के बाद अंतिम चयन सूची बनाई गई थी।

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल...8 आईएएस और 19 पीसीएस अधिकारियों के तबादले,सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी

रायपुर,08 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों और राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से देर रात आदेश जारी हुआ है। जारी आदेश में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। सीनियर अधिकारी रिमिजियस एक्का को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गजेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग का उप सचिव बनाया गया है। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुरूचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है। वहीं, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम. भार्गव को जिला पंचायत दंतेवाड़ा,तन्मय खन्ना को जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

राजीव कुमार को उच्च शिक्षा संचालनालय में पोस्टिंग : राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में भी बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। इंद्रजीत बर्मन को स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है। राजीव कुमार पांडेय को उच्च शिक्षा संचालनालय में पदस्थ किया गया है। भारती चंद्राकर को मार्कफेड,दिनेश कुमार नाग को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन और नयनतारा सिंह तोमर को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

खेल-युवा कल्याण विभाग में भेजे गए प्रभाकर पांडेय : गोकुल राम राबटे को जिला पंचायत मुंगेली का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) बनाया गया है। आशुतोष चतुर्वेदी को जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज और अभिषेक कुमार गुप्ता को जिला पंचायत मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रभाकर पांडेय को खेल-युवा कल्याण विभाग में पदस्थ किया गया है। वहीं,शशांक पांडेय को छत्तीसगढ़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में नई जिम्मेदारी दी गई है।

महादेव ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर ओमान में गिरफ्तार

फर्जी पासपोर्ट से पहुंचने का आरोप,7 साल से था फरार

रायपुर,08 जुलाई 2026। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप संचालक सौरभ चंद्राकर ओमान में अरेस्ट हुआ है। उस पर फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करने का आरोप है। चंद्राकर पिछले कुछ समय से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा था। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, सौरभ को भारतीय एजेंसियों द्वारा जारी इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने उसे वापस लाने के लिए ओमान को औपचारिक प्रत्यर्पण की तैयारियों में जुटी है। चंद्राकर को ओमान की राजधानी मस्कट स्थित हाई-सिक्योरिटी अल खौद डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। बता दें कि सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के

भिलाई का रहने वाला है। वह करीब 5000 करोड़ रुपये के बेटिंग घोटाले का आरोपी है और 2019 से फरार है।

फर्जी पासपोर्ट से ओमान पहुंचने का आरोप : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट के इस्तेमाल और अवैध तरीके से ओमान में प्रवेश करने का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि उसने अपनी पैरवी के लिए मस्कट में वकीलों की एक टीम भी नियुक्त की है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)